The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901

(U.P. Act No. 3 of 1901)

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901

(1901 का उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 3)

(Diglot Edition)

alongwith

Short Notes

राजस्व परिषद, उ.प्र.
पुस्तकालय
लखनऊ

MANAV LAW HOUSE

Contents (विषय-सूची)

CHAPTER I/अध्याय 1

PRELIMINARY/प्रारम्भिक

1. Title, extent and commencement/शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ 1
2. Repeal/निरसन 3
3. Savings/व्यावृत्तियाँ 3
4. Definitions/परिभाषायें 3

CHAPTER II/अध्याय 2

APPOINTMENTS AND JURISDICTION/नियुक्ति और अधिकारिता

5. Controlling powers of State Government and Board respectively/राज्य सरकार तथा परिषद की क्रमशः नियन्त्रक शक्तियाँ 5
6. Appointment of members of the Board/परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति 5
7. Power to distribute business/कार्य वितरित करने की शक्ति 5
8. Decision when case heard by Division Bench/विनिश्चय जबकि वाद खण्ड पीठ द्वारा सुना जाय 6
9. Reference to State Government in case of difference of opinion/मतभेद की दशा में राज्य सरकार को निर्देश 6
10. Power to authorize member to exercise power of Board/परिषद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सदस्य को प्राधिकृत करने की शक्ति 6
11. Power to create, alter and abolish divisions, districts, tahsil and sub-divisions/खण्डों जिलों, तहसीलों तथा उपखण्डों का सृजन परिवर्तन तथा समापन करने की शक्ति 6
12. Commissioners of divisions/मण्डलों के आयुक्त 6
13. Appointment, powers and duties of Additional Commissioner/अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य। 7
14. Collector of the district/जिले का कलेक्टर 7
4-A. Appointment, powers and duties of Additional Collectors/अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य 8
15. Assistant Collectors/सहायक कलेक्टर 8
16. [* * *] 8
17. Tahsildar and Naib-Tahsildars/तहसीलदार और नायब–तहसीलदार 8
18. Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers/परगनाधिकारी तथा अतिरिक्त परगनाधिकारी 8
19. Subordination of Revenue Officers/राजस्व अधिकारियों का अधीनस्थ होना 9
20. Collector of the district in case of temporary vacancy/अस्थायी रिक्ति की स्थिति में जिले का कलेक्टर 9

CHAPTER III/अध्याय 3
MAINTENANCE OF MAPS AND RECORDS/ मानचित्रों तथा अभिलेखों का रख-रखाव

(A) Kanungos and [Lekhpals]/(क) कानूनगो और [लेखपाल]

21. Power to form and alter Lekhpals' halkas/लेखपाल के हलकों का निर्माण और परिवर्तन करने की शक्ति 9
22. [* * *] 10
23. Appointment of Lekhpals/लेखपालों की नियुक्ति 10
24. [* * *] 10
25. Appointment of Kanungos/कानूनगो की नियुक्ति 10
26. [* * *] 10
27. Kanungos and Lekhpals to be public servants, and their records public records/कानूनगो और लेखपाल लोक–सवेक होंगे और उनके अभिलेख लोक–अभिलेख होंगे 10

(B) Maps/(ख) मानचित्र

28. Maintenance of map and field-book/मानचित्र (नक्शा) तथा फील्ड बुक का रख–रखाव 10
29. Obligations of owners as to boundary marks/सीमा चिन्हों के सम्बन्ध में स्वामियों की बाध्यता 10
30. Penalty for injury to, or removal of, marks/चिन्हों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए दण्ड 11

(C) Registers/(ग) रजिस्टर

31. List of villages/गाँवों की सूची 11
32. Record-of-rights/अधिकार–अभिलेख 11
33. The annual registers/वार्षिक रजिस्टर 11
33-A. Correction of annual registers in cases of uncontested successions/अविरोध उत्तराधिकार के मामलों में वार्षिक रजिस्टरों का शुद्धिकरण 14
34. Report of succession or transfer of possession/उत्तराधिकार अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट 14
35. Procedure on report/प्रतिवेदन पर प्रक्रिया 17
36. [* * *] 17
37. Power to prescribe fees for mutation/नामान्तरण (दाखिल–खारिज) के लिये शुल्क निर्धारित करने की शक्ति 17
38. Fine for neglect to report/प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करने में उपेक्षा के लिए दण्ड 17
39. Correction of mistakes in the annual register/वार्षिक पंजिका में अशुद्धियों की शुद्धि 17
40. Settlement of disputes as to entries in annual register/वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में विवादों का निपटारा 18
40-A. Saving as to title suits/आगम वादों के विषय में व्यावृत्ति 18
41. Settlement of boundary disputes/सीमा विवादों का समझौता 18

41-A. [* * *] 19
42. [* * *] 19
43. Procedure when rent payable is disputed/जब देय लगान विवादग्रस्त हो तब प्रक्रिया 19
44. Presumption as to entries in the annual register/वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में उपधारणा 19
45. [* * *] 19
46. Obligation to furnish information necessary for the preparation of records/अभिलेखों की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करने का कर्तव्य 19
47. Inspection of records/अभिलेखों का निरीक्षण 19

CHAPTER IV/अध्याय 4

REVISION OF MAPS AND RECORDS/मानचित्रों और अभिलेखों का पुनरीक्षण

48. Notification of record operations/अभिलेख–प्रवर्तन की अधिसूचना 20
49. Record Officers/अभिलेख अधिकारी 20
50. Powers of Records Officer as to erection of boundary marks/ सीमा चिन्ह निर्धारित करने के विषय में अभिलेख–अधिकारी की शक्ति 20
51. Decision of disputes/विवाद का निर्णय 20
52. Records to be prepared in re-survey/पुनः सर्वेक्षण में तैयार किये जाने वाले अभिलेख 20
53. Preparation of new record of rights/नये अधिकार–अभिलेखों की तैयारी 20
54. 20
55. Particulars to be stated in the list of cultivators/खेतिहरों की सूची में वर्णित होने वाली प्रविष्टियाँ 22
56. [* * *] 22
57. Presumption as to entries/प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा 22

CHAPTERs V to VIII/अध्याय 5 से 8

[* * *]

CHAPTER IX/अध्याय 9

PROCEDURE OF REVENUE COURTS AND REVENUE OFFICERS/ राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया

189. Place for holding Court/न्यायालय लगाने का स्थान 22
190. Power to enter upon and survey land/भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने की शक्ति 23
191. Power of Board or Commissioner to transfer cases/मामलों का अन्तरण करने के लिए परिषद या आयुक्त की शक्ति 23
192. Power to transfer cases to and from subordinates/वादों को अधीनस्थों की ओर से अन्तरण करने की शक्ति 23
192-A. Consolidation of cases/मामलों का समेकन 23
193. Power to summon persons to give evidence and produce documents/साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति 23

194. Procedure in case of non-compliance with summons/सम्मन के अननुपालन की दशा में प्रक्रिया 24
195. Summons to be in writing, signed and sealed/सम्मन का लिखित, हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होना। 24
196. Mode of serving notice/नोटिस तामील करने का तरीका 24
197. Mode of issuing proclamations/उद्घोषणा जारी करने का तरीका 24
198. Notice and proclamation not void for error/नोटिस या उद्घोषणा गलती के कारण शून्य न होगी 24
199. Procedure for procuring attendance of witnesses/गवाहों की हाज़िरी पाने के लिये प्रक्रिया 24
200. Hearing in absence of party/पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई 25
201. No appeal from orders passed ex parte or by default/एकपक्षीय या चूक के कारण पारित आदेशों से अपील नहीं 25
202. Correction of error or omission/गलती या लोप की शुद्धि 25
203. Power to refer disputes to arbitration/विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति 25
204. Procedure in cases referred to arbitration/मध्यस्थता के लिए भेजे गये मामलों में प्रक्रिया 25
205. Application to set aside award/पंचाट को खारिज करने के लिए आवेदन 25
206. Decision according to award/पंचाट के अनुसार निर्णय 25
207. Bar to appeal and suit in Civil Court/सिविल न्यायालय में वाद और अपील पर अवरोध 26
208. Recovery of fines and costs/जुर्माने और खर्चों की वसूली 26
209. Delivery of possession of immovable property/अचल सम्पत्ति के कब्जे का प्रदान 26

CHAPTER X/अध्याय 10

APPEALS, [* * *] AND REVISION/अपील [× × ×] और पुनरीक्षण

210. Courts to which appeals lie/न्यायालय जिन्हें अपीलें होंगी 26
211. First appeal/पहली अपील 27
212. [* * *] 27
213. [* * *] 27
214. 27
215. Appeal against order admitting an appeal/अपील ग्रहण करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील 27
216. Powers of Appellate Court/अपील न्यायालय की शक्तियाँ 27
217. Power to suspend execution of order of lower Court/निचले न्यायालय के आदेश का निष्पादन रद्द करने की शक्ति 28
218. [* * *] 28

219. Revision/पुनरीक्षण 28
220. Power of Board to review and alter its order and decrees/अपने आदेशों और डिक्रियों का पुनर्विलोकन तथा परिवर्तन करने की परिषद् की शक्ति 29

CHAPTER XI /अध्याय 11

MISCELLANEOUS/प्रकीर्ण

(A) Powers/ (क) शक्तियाँ

221. Conferring of powers/अधिकार प्रदान करने की शक्ति 30
222. Powers of officers transferred to another District/दूसरे जिले में स्थानान्तरित अधिकारियों की शक्ति 30
223. Investment of Assistant Collector with powers of Collector/ कलेक्टर की शक्ति का सहायक कलेक्टर में निहित होना 30
224. Conferring of powers on Tahsildars and Naib-Tahsildars/ तहसीलदार और नायब–तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान करना 30
225. Collector to have all powers of an Assistant Collector/कलेक्टर को सहायक कलेक्टर की समस्त शक्यिाँ 30
226. [* * *] 30
227. Powers of an Assistant Collector in charge of sub-division/ उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ 30
228. Powers of an Assistant Collector of first class not in charge of a sub-division/प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर जो उपखण्ड का प्रभारी न हो की शक्तियाँ 31
229. Powers of Assistant Collectors of second class/द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ 31
230. Powers of Assistant Record Officers/ सहायक अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ 31
231. Powers of subordinate authority to be exercised by superior authority/अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रयोग 31
232. [* * *] 32

(B) Jurisdiction of Civil Courts/(ख) दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता

233. Matters excepted from cognizance of Civil Courts/दिवानी न्यायालयों के संज्ञान से अपवादित मामले 32

(C) Power to make rules/ (ग) नियम बनाने की शक्ति

234. Power of Board to make rules/परिषद की नियम बनाने की शक्ति 32
THE FIRST SCHEDULE/प्रथम अनुसूची 33
THE SECOND SCHEDULE/द्वितीय अनुसूची 34

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901[1]

[1901 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 3]

संयुक्त प्रान्त में भू-राजस्व और राजस्व अधिकारी की अधिकारिता से सम्बन्धित विधि को समेकित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

चूँकि [2][उत्तर प्रदेश] में भू-राजस्व और राजस्व अधिकारियों की अधिकारिता से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है, इसलिए एतद्द्वारा निम्न रूप से अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार[3] प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय सम्पूर्ण [4][उत्तर प्रदेश] पर है :

[5][परन्तु] [6][राज्य सरकार], [7][शासकीय राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सम्पूर्ण या किसी भाग का विस्तार[8] इस प्रकार अपवादित क्षेत्रों में से सभी या किसी तक

---

1. लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर की 24 अक्टूबर, 1901 को और गवर्नर-जनरल की 19 दिसम्बर, 1901 को सम्मति प्राप्त हुई और 21 दिसम्बर, 1901 को भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 की धारा 40 के अधीन प्रकाशित किया गया।
2. ए०ओ० 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम का विस्तार दिनांक 18.10.1947 की अधिसूचना सं० 3109/1-ए० द्वारा कुछ निर्बन्धनों के अध्यधीन अल्मोड़ा, गढ़वाल भाबर सम्पदा के खाग गावों को अपवर्जित करके गढ़वाल, और काशीपुर तहसील तथा भाबर तहसील के तराई तथा खाम गावों को अपवर्जित करके जिला नैनीताल में किया गया।
4. ए०ओ० 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1915 के उ०प्र० अधिनियम सं० 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. ए०ओ० 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. ए०ओ० 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. इस अधिनियम का विस्तार निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में वर्णित और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में वर्णित तारीख से स्तम्भ 3 में वर्णित अधिसूचना, यदि कोई हो, के अधीन ऐसे क्षेत्रों में प्रवर्तित अधिनियम या आदेश के अधीन किया गया है:

क्षेत्र	अधिनियम या आदेश, जिसके अधीन विस्तार किया गया है।	अधिसूचना, यदि कोई हो, जिसके अधीन प्रवर्तित हो।	तारीख, जिससे प्रवर्तित है
1	2	3	4
(1) रामपुर जिला	रामपुर (विधियों का लागू होना) अधिनियम, 1950	...	अध्याय 1, 2 तथा 3 की धारा 21 से 27 का प्रवर्तन 1 दिसम्बर 1949 को और से हुआ।
(2) बनारस जिला	बनारस (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949	दिनांक 30 नवम्बर, 1949 की सं० 3262 (1) और सं० 3226 (2) XVII	अध्याय 1, 2 और अध्याय 3 की धारा 21 से 27 का प्रवर्तन 30 नवम्बर, 1949 से हुआ।

[1][ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के साथ कर सकती है, जिसे वह ठीक समझे] :

[2][परन्तु यह भी कि इस अधिनियम का कोई, प्रावधान, जो कसवार परगना राजा अधिनियम, 1915 के प्रावधानों से असंगत है, जिला बनारस में कसवार परगना राजा को लागू नहीं होंगे :] और

(3) यह जनवरी, 1902 के प्रथम दिन को लागू होगा।

[उत्तराखण्ड][3] संशोधन

[4][**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—यह आदेश उत्तर प्रदेश भू-राजस्व (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 में जहाँ कहीं भी शब्द "उत्तर प्रदेश" आयेगा, 'उत्तरांचल' पढ़ा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 में जहाँ कही भी शब्द बार्ड; राजस्व बोर्ड; या राजस्व बोर्ड के सदस्य आता है इसके स्थान पर मुख्य राजस्व आयुक्त/अतिरिक्त राजस्व आयुक्त जो कुछ उचित समझा जायेगा, प्रतिस्थापित होगा।

4. मुख्य राजस्व आयुक्त/अतिरिक्त राजस्व आयुक्त के कार्यालय का मुख्यालय देहरादून में होगा।

5. पौड़ी और नैनीताल में मुख्य राजस्व आयुक्त/अतिरिक्त राजस्व आयुक्त के स्तर का न्यायिक कार्य हेतु सर्किट न्यायालय होगा।]

1	2	3	4
(3) टेहरी-गढ़वाल जिला	टेहरी-गढ़वाल (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949	उक्त	अध्याय 1, 2 और अध्याय 3 की धारा 21 से 27 का प्रवर्तन 30 नवम्बर, 1949 से हुआ। अधिनियम के शेष प्रावधानों का विस्तार और प्रवर्तन ऐसी तारीख को और ऐसे अपवादों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन होगा, जैसा कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

1. 1941 के उ०प्र० अधिनियम सं० 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1915 के उ०प्र० अधिनियम सं० 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 2006 के उ०प्र० अधिनियम 52 द्वारा शब्द "उत्तरांचल" के स्थान पर प्रतिस्थापित (01.01.2007) से प्रभावी।
4. देखें, अधिसूचना सं० 2246/राजस्व/2001 दिनांक 16.07.2001.

2. निरसन—(1) द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमिति उसके तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित सीमा तक निरस्त की जाती है।

(2) जब यह अधिनियम या उसका कोई भाग किसी [1][अपवाद या उपान्तरण के साथ या बिना] प्रथम अनुसूची में अपवादित क्षेत्रों में से किसी को लागू किया जाता है, तो कोई अधिनियम या विनियम जो वहाँ लागू हो, जो इस अधिनियम या उसका भाग [2][जो] लागू किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से असंगत हो, एतद्द्वारा निरस्त हो जायेंगे।

(3) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरस्त होने के फलस्वरूप किसी ऐसे व्यवहार की वैधता प्राप्त नहीं होगी जो ऐसी अधिनियमिति के पारित होने के तत्काल पूर्व अवैध था, और न ही किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, विषय या वस्तु को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय लागू या अस्तित्व में नहीं था, पुनः जीवित करेगा।

3. व्यावृत्तियाँ—(1) बनाये गये सभी नियम, नियुक्तियाँ, निर्धारण, विभाजन और अन्तरण, जारी की गई अधिसूचनाऐं, उद्घोषणायें, और जारी आदेश, प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियाँ, स्वीकृत फार्म, तैयार किये गये अधिकार अभिलेख और दूसरे अभिलेख, अर्जित किये गये अधिकार और उपगत किये गये दायित्व, नियत किया गया लगान, नियुक्त किये गये स्थान और समय, और दूसरी चीजें, जो किसी अधिनियमिति के अन्तर्गत की गयी हों, जो एतद्द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं, जहाँ तक सम्भव हो इस अधिनियम के अन्तर्गत, क्रमशः बनाये गये, जारी किये गये, प्रदत्त, स्वीकृत, बनाये गये, अर्जित, उपगत, नियत, नियुक्त और की गई मानी जायेगी।

(2) कोई अधिनियमिति या दस्तावेज, जो किसी ऐसी अधिनियमिति का उल्लेख करता है, जो एतद्द्वारा निरस्त कर दिया गया है, का अर्थ इस अधिनियम का या उसके तत्समान भाग का उल्लेख समझा जायेगा।

4. परिभाषायें—इस अधिनियम में, विषय या सन्दर्भ में जब तक कोई बात विरुद्ध नहीं है—

(1) 'बोर्ड' से राजस्व परिषद अभिप्रेत है;

[3][(1-क) *"स्वामित्वहीन काश्तकार"*, रियायती लगान पर आराजी का दिया जाना, बागदार, बागभूमि, आनुवंशिक काश्तकार, सुधार, खुदकाश्त, भू-धारक, दखीलकार काश्तकार, लगान, बिना लगानी माफी, सीर और काश्तकार के अर्थ, निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन वही होंगे जो उनके संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 में दिये गये हैं :

(क) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (8) में सुधार की परिभाषा में से 'एक काश्तकार की जोत के प्रति निर्देश से' शब्द लुप्त हुये समझे जायेंगे,

(ख) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (18) में से शब्द "और अध्याय 7 में, जब विपरीत आशय प्रकट होता हो को छोड़कर सायर को भी सम्मिलित करता है" लुप्त हुए समझे जायेंगे, और;

(ग) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (23) में परिभाषित पद "काश्तकार" में एक 'ठेकेदार' सम्मिलित नहीं समझा जायेगा,]

---

1. 1941 के उ०प्र० अधिनियम सं० 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1941 के उ०प्र० अधिनियम सं० 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1941 के उ०प्र० अधिनियम सं० 11 द्वारा अतःस्थापित।

(2) *'भार'* का तात्पर्य निजी संविदा से उत्पन्न हुआ भूमि पर प्रभार या भूमि के विरुद्ध दावे से है।

(3) *'लम्बरदार'* का तात्पर्य महाल के सह-भागीदार से है जिसे उक्त महाल के सभी या सह-भागीदारों में से किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो।

(4) *महाल*—

(क) किसी पृथक व्यवस्था के अन्तर्गत भू-राजस्व के भुगतान के लिए धारण किया गया कोई स्थानीय क्षेत्र।

परन्तु यह कि—

(i) यदि ऐसे क्षेत्र में कोई एक गाँव या गाँव का भाग है, जो ऐसे गाँव या गाँव के भाग के लिए पृथक अधिकार-अभिलेख तैयार किये गये हों,

(ii) यदि ऐसे क्षेत्र में दो या दो से अधिक गाँव या गाँवों के भाग हैं, तो समस्त क्षेत्र प्रत्येक गाँव या उसमें सम्मिलित गाँवों के भागों के लिए पृथक अधिकार-अभिलेख तैयार किये गये हों,

(ख) कोई राजस्व-मुक्त क्षेत्र जिसके लिए पृथक अधिकार-अभिलेख तैयार किये गये हों,

(ग) उन प्रयोजनों के लिए जो [1][राज्य-सरकार] निश्चित करे, इससे पूर्व या इसके बाद बंजर भूमि नियम के अन्तर्गत दिया गया अनुदान, और

(घ) कोई अन्य स्थानीय क्षेत्र जिसे [2][राज्य सरकार] सामान्य या विशेष आदेश द्वारा महाल घोषित करे।

(5) 'अवयस्क'—से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अन्तर्गत वयस्कता नहीं प्राप्त की है।

(6) [3][* * *]

(7) *'राजस्व'* का तात्पर्य भू-राजस्व से है।

(8) *'माल-न्यायालय'* का तात्पर्य निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्राधिकारियों से है (अर्थात्) बोर्ड और उसके सब-सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, [4][अपर कलेक्टर], सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी और तहसलीदार,

(9) *'राजस्व अधिकारी'* का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व-अभिलेखों के रख-रखाव या भू-राजस्व के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में, नियुक्त किया गया हो,

(10) *'राजस्व–मुक्त'* का तात्पर्य जब इसका प्रयोग भूमि के सन्दर्भ में किया जाता है, ऐसी भूमि से है जिसका कुल राजस्व या उसका एक भाग मुक्त कर दिया गया हो, उसके विषय में कोई सुलहनामा किया गया हो, छुड़ाया गया हो या किसी को अन्तरित कर दिया गया हो,

(11) *'बन्दोबस्त'* का तात्पर्य भू-राजस्व के बन्दोबस्त से है;

(12) [5][* * *]

---

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा लोप किया गया।
4. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा बढ़ाया गया।
5. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा लोप किया गया।

[1][(13) *'सायर'* से तात्पर्य पत्थरों तथा अन्य खनिजों को छोड़कर, अन्य प्राकृतिक चीजों से उत्पन्न होने वाली प्राप्तियाँ हैं],

(14) *'तालुका'* या *'तालुकदारी महाल'* का तात्पर्य अवध में ऐसे आस्थान से है जिसे अवध इस्टेट्स ऐक्ट, संख्या 1, 1869 के प्रावधान लागू होते हैं, तथा
'तालुकदार' का अर्थ है ऐसे आस्थान का मालिक,

(15) *'अदना मालिक'* का तात्पर्य अवध में उस व्यक्ति से है जिसे भूमि का दाययोग्य और अन्तरणीय अधिकार प्राप्त है और जो, किसी न्यायिक फैसले या संविदा के अभाव में उसके लिये लगान देने का जिम्मेदार होता,

[2][(16) *'उप-स्वामी'* का तात्पर्य आगरा के उस व्यक्ति से है जो भूमि में अवर परन्तु दाययोग्य तथा अन्तरणीय स्वामी का हित रखने वाला व्यक्ति है और जिसके साथ इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अधीन उप-बन्दोबस्त किये गये हैं।

[3][(17) किसी अधिनियम के निर्देश से तात्पर्य उस अधिनियम का समय-समय पर उत्तर प्रदेश को लागू होने में, उसका संशोधित रूप से है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मामले में निर्देश होने पर बातिलीकरणों, परिवर्तनों और परिवर्धनों के अध्यधीन होगा जो कि उसकी प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में उसकी धारा 12 के अन्तर्गत समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा किये जायें।]

अध्याय 2

नियुक्ति और अधिकारिता

[4][**5. राज्य सरकार तथा परिषद की क्रमशः नियन्त्रक शक्तियाँ**—राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुये अधिनियम में उपबन्धित मामलों में बोर्ड मुख्य नियन्त्रणाधिकारी रहेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें कि वादों, अपीलों [5][* * *] और पुनरीक्षणों के निस्तारण का प्रसंग हो।]

टिप्पणी

राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ—अधिनियम की धारा 5 में यह उपबन्धित किया गया है कि राजस्व बोर्ड वादों, अपीलों एवं पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बद्ध विषयों के सिवाय, अधिनियम में उपबन्धित अन्य विषयों के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होगा।[6]

6. परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति—[7][राज्य सरकार] [8][* * *] परिषद के सदस्य नियुक्त [9][* * *] करेंगी।

[10][**7. कार्य वितरित करने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों एवं धारा 8 के अधीन रहते हुए बोर्ड अपने कार्यों को इस प्रकार वितरित कर सकता है और अपने

---

1. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1965 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा बढ़ाया गया।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा शब्द "निर्देशों" का लोप किया गया।
6. *राजकुमार एवं अन्य* बनाम *राजस्व बोर्ड*, (2003) 94 आर०डी० 412 (एल०बी०)।
7. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 1920 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 38 द्वारा लोप किया गया।
9. विधि अनुकूल आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
10. 1966 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्यों के बीच अपनी अधिकारिता के ऐसे क्षेत्रीय संभाग बना सकता है जैसा कि यह ठीक समझे।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर बोर्ड, विशिष्टतः और यथा उपरोक्त के अधीन अपने न्यायिक कार्य का निस्तारण अपने सदस्यों की मात्र बैठक द्वारा या खण्ड पीठों द्वारा कर सकेगा।]

[1][**8. विनिश्चय जबकि वाद खण्ड पीठ द्वारा सुना जाय**—[2](1) जहाँ कि अपील पर या पुनरीक्षण में बोर्ड के विचारणार्थ आने वाली कार्यवाही दो या अधिक सदस्यों से गठित खण्ड पीठ द्वारा सुनी जाती है, वहाँ मामला ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।]

(2) जहाँ कि पीठ का गठन करने वाले सदस्य किसी बिन्दु पर दिये जाने वाले विनिश्चय के बारे में राय में समान रूप से विभाजित है, तब मामला ऐसे बिन्दु पर एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा सुना जायेगा और बिन्दु उन सदस्यों के बहुमत की राय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिन्होंने, उन्हें अन्तर्विष्ट करते हुए जिन्होंने प्रथम बार उसे सुना था, मामला सुना है।]

9. मतभेद की दशा में राज्य सरकार को निर्देश—यदि [3][बन्दोबस्त से सम्बन्धित किसी मामले] में दिये जाने वाले आदेश के प्रति परिषद के सदस्य समान रूप से विभाजित हों, तो जिस प्रश्न पर मत-विभाजन है उसे [4][राज्य सरकार] के पास निर्णय के लिए भेजा जायेगा।

10. परिषद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सदस्य को प्राधिकृत करने की शक्ति—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी [5][राज्य सरकार] परिषद के किसी सदस्य को, या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिये परिषद पर लागू किये गये कर्तव्यों तथा उसकी प्रदत्त शक्तियों, सभी या केवल कुछ का, पालन या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

11. खण्डों, जिलों, तहसीलों तथा उपखण्डों का सृजन, परिवर्तन तथा समापन करने की शक्ति—(1) [6][राज्य सरकार] [7][* * *] नये खण्ड या जिले बना सकती है या वर्तमान खण्डों या जिलों को समाप्त कर सकती है।

(2) [8][राज्य सरकार] किसी खण्ड, जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नयी तहसील बना सकती है या वर्तमान तहसीलों को समाप्त कर सकती है, तथा किसी जिले की उप-खण्डों की सीमायें परिवर्तित कर सकती है।

(3) उप-धारा (2) के अन्तर्गत [9][राज्य सरकार] के आदेशों के अध्यधीन, सभी तहसीलें जिले की उपखण्ड समझी जायेंगी।

12. मण्डलों के आयुक्त—[10][राज्य सरकार] प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त नियुक्त करेगी, जो अपने मण्डल में इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अन्तर्गत आयुक्त पर लागू किये गये कर्तव्यों तथा उनको प्रदत्त की गई शक्तियों का पालन एवं प्रयोग करेगा, और वह [11][* * *] अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

---

1. 1966 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1922 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
8. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. 1922 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा लोप किया गया।

टिप्पणी

कमिश्नर की शक्तियाँ—अधिनियम की धारा 12 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, जो कि अपने मण्डल में इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन कमिश्नर पर प्रदत्त एवं अधिरोपित शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन करेगा और जो कि अपने राजस्व मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों के ऊपर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।[1]

13. अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य— (1) [2][राज्य सरकार] [3][* * *] एक मण्डल या दो या अधिक मैण्डलों को मिलाकर एक अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त कर सकती है।

(2) अतिरिक्त आयुक्त [4][राज्य सरकार] के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा।

(3) अतिरिक्त आयुक्त ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो [5][राज्य सरकार] या [6][राज्य सरकार] के आदेश के अभाव में, सम्बन्धित आयुक्त निदेशित करे।

(4) यह अधिनियम तथा प्रत्येक अन्य विधि, जो तत्समय आयुक्त को लागू है, अतिरिक्त आयुक्त को भी लागू होगी, जब वह उप-धारा (3) के अन्तर्गत किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, मानो यदि वह मण्डल का आयुक्त हो।

टिप्पणी

अतिरिक्त कमिश्नर—अतिरिक्त कमिश्नर के बारे में अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि अतिरिक्त कमिश्नर मामलों या मामलों के वर्गों में कमिश्नर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के आदेश के अभाव में सम्बन्धित कमिश्नर निर्देश दे और जब वह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन किन्हीं शक्यिों का प्रयोग कर रहा है या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो वह अधिनियम जो कमिश्नर पर लागू होती है, अतिरिक्त कमिश्नर पर इस प्रकार लागू होगी मानो वह क्षेत्र का कमिश्नर हो।[7]

14. जिले का कलेक्टर—[8][राज्य सरकार] प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो जिले का कलेक्टर होगा, और जो अपने जिले में इस अधिनियम या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू किये गये कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करेगा।

टिप्पणी

कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर—जिला के कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एवं सहायक कलेक्टर के बारे में यह उपबंधित किया गया है कि कलेक्टर सम्पूर्ण जिले में ऐसी सभी

---

1. *राजकुमार एवं अन्य* बनाम *राजस्व बोर्ड*, (2003) 94 आर०डी० 412 (एल०बी०)।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1920 के अधिनियम संख्या 38 द्वारा लोप किया गया।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. *राजकुमार एवं अन्य* बनाम *राजस्व बोर्ड*, (2003) 94 आर०डी० 412 (एल०बी०)।
8. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम द्वारा कलेक्टर पर प्रदत्त एवं अधिरोपित है और अतिरिक्त कलेक्टर मामले या मामलों के वर्ग में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि सम्बन्धित कलेक्टर निर्देश दे और उप-धारा (3) के अन्तर्गत किसी शक्ति को प्रयोग कर रहा होता है या कर्तव्य के पालन में कर रहा होता है मानों वह जिले का कलेक्टर हो। सहायक कलेक्टर के बारे में, धारा 15 में यह उपबन्धित किया गया है कि जिले के सभी सहायक कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारी, कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे।[1]

[2][**14-क. अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य**—(1) [3][राज्य सरकार] एक जिले में या दो या दो से अधिक जिलों के लिए मिलाकर एक अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त कर सकती है।

(2) अतिरिक्त कलेक्टर [4][राज्य सरकार] के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा।

[5][(3) एक अतिरिक्त कलेक्टर ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि सम्बन्धित कलेक्टर निदेशित करे।]

(4) यह अधिनियम तथा प्रत्येक अन्य कानून जो तत्समय कलेक्टर को लागू हैं, अतिरिक्त कलेक्टर को भी लागू होंगे जब वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, मानो वह जिले का कलेक्टर हो।]

15. सहायक कलेक्टर—(1) [6][राज्य सरकार] प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में प्रथम या द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टरों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जिले में ऐसे सभी सहायक कलेक्टर और अन्य सभी राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे।

16. [7][* * *]

17. तहसीलदार और नायब-तहसीलदार—[8][राज्य सरकार] प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार [9][* * *] के रूप में नियुक्त कर सकती है, जितना वह आवश्यक समझे।

[10][**18. परगनाधिकारी तथा अतिरिक्त परगनाधिकारी**—(1) राज्य सरकार किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का प्रभारी बना सकती है, तथा वहाँ से हटा सकती है।

(2) ऐसे सहायक कलेक्टर को जिले के उपखण्डों का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उपखण्डीय अधिकारी कहा जायेगा और कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन इस अधिनियम या तत्समय लागू

---

1. *राजकुमार एवं अन्य* बनाम *राजस्व बोर्ड*, (2003) 94 आर०डी० 412 (एल०बी०)।
2. 1920 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1962 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
8. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
10. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

किसी अन्य विधि द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू किये गये कर्तव्यों का प्रयोग या पालन करेगा।

(3) राज्य सरकार जिले में नियुक्त किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को जिले के एक या एक से अधिक उप-मण्डलों के अतिरिक्त उपखण्डीय अधिकारी के रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकती है।

(4) अतिरिक्त उपखण्डीय अधिकारी ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, जिले के सहायक कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा।

(5) उपखण्डीय अधिकारी को लागू इस अधिनियम तथा प्रत्येक अन्य विधि के प्रावधान जो उसे तत्समय लागू हैं, प्रत्येक अतिरिक्त उपखण्डीय अधिकारी को उस समय लागू होंगे जब वह उप-धारा (4) के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो या कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, मानो वह एक उपखण्डीय अधिकारी हो।

(6) राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत, अपनी शक्तियाँ जिले के कलेक्टर को दे सकती है तथा वापस ले सकती है।]

19. राजस्व अधिकारियों का अधीनस्थ होना—जिले के उपखण्ड का प्रत्येक राजस्व-अधिकारी, कलेक्टर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन, उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर (यदि कोई हो) के अधीनस्थ होगा।

टिप्पणी

अधिनियम की धारा 19 में यह उपबन्धित किया गया है कि एक जिला के उपखण्ड के राजस्व अधिकारी, कलेक्टर के सामान्य नियन्त्रण में होते हुए, उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर (यदि कोई हो) के अधीन होंगे।[1]

20. अस्थायी रिक्ति की स्थिति में जिले का कलेक्टर—यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में निर्योग्य हो जाता है, तो जब तक [2][राज्य सरकार] मृत या निर्योग्य कलेक्टर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करती और ऐसा उत्तराधिकारी अपनी नियुक्ति का भार ग्रहण नहीं करता है, जो अधिकारी राजस्व सम्बन्धी मामलों में अस्थायी रूप से जिले के प्रमुख कार्यपालिका प्रशासन का उत्तराधिकारी होता है, इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर समझा जायेगा।

अध्याय 3

मानचित्रों तथा अभिलेखों का रख-रखाव

(क) कानूनगो और [3][लेखपाल]

21. लेखपाल के हलकों का निर्माण और परिवर्तन करने की शक्ति—[4][(1) कलेक्टर जिले के गाँवों को लेखपाल के हलकों में बाँट सकता है तथा समय-समय पर लेखपालों की संख्या में कोई परिवर्तन किये बिना, ऐसे हलकों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(2) यदि उप-धारा (1) में उल्लिखित परिवर्तनों से लेखपालों की संख्या पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, तो इसके लिये राज्य सरकार की पूर्व-अनुमति प्राप्त करनी होगी।]

---

1. *राजकुमार एवं अन्य* बनाम *राजस्व बोर्ड*, (2003) 94 आर०डी० 412 (एल०बी०)।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1958 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु ऐसा कोई बाँटना या परिवर्तन तब तक अन्तिम न होगा जबकि वह [1][राज्य सरकार] से मन्जूरी प्राप्त न कर ले।

22. [2][* * *]

[3][**23. लेखपालों की नियुक्ति**—इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत उल्लिखित अभिलेख की तैयारी के लिए तथा ऐसे कर्तव्यों के प्रयोजनार्थ जो विहित किये जायें, राज्य सरकार प्रत्येक हलके के लिये एक लेखपाल नियुक्त करेगी।]

24. [4][* * *]

25. कानूनगो की नियुक्ति—सालाना रजिस्टरों के समुचित पर्यवेक्षण, रख-रखाव तथा सुधार तथा ऐसे ही अन्य कर्तव्यों के लिये, जो [5][राज्य सरकार], समय-समय पर, विहित करे, प्रत्येक जिले में एक या अधिक कानूनगो [6][* * *] नियुक्त किये जा सकते हैं।

26. [7][* * *]

27. कानूनगो और लेखपाल लोक-सवेक होंगे और उनके अभिलेख लोक-अभिलेख होंगे—प्रत्येक कानूनगो और लेखपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसे अस्थायी तौर पर किसी ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत लोक-सेवक समझा जायेगा, तथा उसके द्वारा रखे गये सभी सरकारी अभिलेख तथा [8][दस्तावेज] लोक-अभिलेख समझे जायेंगे तथा उन्हें [9][राज्य सरकार] की सम्पत्ति समझा जायेगा।

(ख) मानचित्र

28. मानचित्र (नक्शा) तथा फील्ड बुक का रख-रखाव—कलेक्टर धारा 234 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अपने जिले के प्रत्येक गाँव का एक मानचित्र तथा एक फील्ड बुक का रख-रखाव करेगा तथा वह प्रतिवर्ष या इतनी अधिक अवधि के अन्तर से, जो [10][राज्य सरकार] विहित करे, प्रत्येक गाँव [11][* * *] या खेत की सीमाओं में होने वाले परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और वह ऐसे मानचित्रों तथा फील्ड-बुक में दिखाई गई भूलों को सुधारेगा।

29. सीमा चिन्हों के सम्बन्ध में स्वामियों की बाध्यता—(1) अपने खेतों पर विधि-पूर्वक बनाये गये स्थायी सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर साधारण तथा ठीक हालत में रखना प्रत्येक जोतदार का कर्तव्य होगा।

(2) अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित गाँव के विधिपूर्वक बनाये गये स्थानीय सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर साधारण तथा ठीक हालत में रखना ग्राम सभा का कर्तव्य होगा।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
3. उ०प्र० भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।
5. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1956 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 18 द्वारा लोप किया गया।
7. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा लोप किया गया।
8. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।

(3) कलेक्टर किसी भी समय ग्राम सभा या जोतदार को, जैसी भी स्थिति हो, आदेश दे कता है, कि—

(क) वह ऐसे गाँवों तथा खेतों पर सीमा चिन्ह बनाये,

(ख) वह उन पर विधिपूर्वक बनाये गये सभी चिन्हों को ऐसे रूप में या तरीके से, जैसा कि हेत किया जाये, मरम्मत कराये या पुनः बनाये।

30. चिन्हों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए दण्ड—कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को भी करार दे सकता है जिसने जान-बूझकर किसी सीमा चिन्ह को मिटाया हो, हटाया हो या तिग्रस्त किया हो और अधिक से अधिक 50 रुपये तक प्रत्येक इस प्रकार मिटाये गये, हटाये गये क्षतिग्रस्त किये गये चिन्हों के लिये उस पर जुर्माना कर सकता है जितना चिन्ह को फिर से ापित करने तथा सूचक को बतौर इनाम देने के लिए जरूरी है, जिसकी सूचना पर दोषी प्राप्त किया गया था। जब ऐसी रकम की वसूली न हो सके या जब अपराधी का पता न चल हो, तो कलेक्टर चिन्ह को पुनः स्थापित कराकर उसका व्यय ऐसे [1][गाँव के सहविस्तारी खेतों खातेदारों या ग्राम सभा से, जैसी भी स्थिति हो], वसूल करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(ग) रजिस्टर

31. गाँवों की सूची—कलेक्टर विहित रूप में सभी गाँवों की सूची तैयार करायेगा तथा विहित से उसमें निम्नलिखित क्षेत्र दिखायेगा—

(क) नदी क्रिया के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र,

(ख) अनियत खेती वाले क्षेत्र, तथा

(ग) जिसका भू-राजस्व, पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर दिया गया है, समझौता कर दिया गया है मोचन किया गया है या अन्तरित कर दिया गया है,

ऐसे रजिस्टरों का पुनरीक्षण, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार, प्रत्येक पाँचवें वर्ष या जायेगा।

32. अधिकार-अभिलेख—[2][ऐसे अपवादों के अधीन जो धारा 234 के प्रावधानों के अन्तर्गत ाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायें, प्रयेक गाँव के लिए एक अधिकारों का अभिलेख होगा। धिकारों का अभिलेख उन सभी व्यक्तियों के एक रजिस्टर के रूप में होगा जो खेती करते हों या पथा भूमि पर काबिज हों तथा धारा 55 द्वारा अपेक्षित ब्योरों का इसमें उल्लेख होगा।]

33. वार्षिक रजिस्टर—(1) कलेक्टर अधिकार-अभिलेख का अनुरक्षण करेगा तथा इस प्रयोजन लिए प्रति वर्ष या इतनी अवधि के बाद जो [3][राज्य सरकार] विहित करे, [4][धारा 32 में ल्लिखित एक संशोधित रजिस्टर] तैयार करायेगा।

इस प्रकार तैयार किया गया [5][रजिस्टर] वार्षिक रजिस्टर कहलायेगा।

[6][(2) कलेक्टर वार्षिक रजिस्टर में निम्नलिखित बातों को अभिलिखित करायेगा—

1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार सभी उत्तराधिकार और अन्तरण; या

(ख) अन्य परिवर्तन जो किसी भूमि के सम्बन्ध में हो सकते हैं;

तथा धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार सभी त्रुटियाँ और लोपों को सुधारेगा :

परन्तु खण्ड (ख) के अन्तर्गत किसी परिवर्तन को अभिलिखित करने की शक्ति का तात्पर्य हक के बारे में विवाद के प्रश्न के विनिश्चय करने की शक्ति का सम्मिलित करना नहीं समझा जायेगा।]

(3) [1][ऐसा कोई परिवर्तन या संव्यवहार (लेन-देन) कलेक्टर, या जैसा एतद्पश्चात उपबन्धित किया गया है, तहसीलदार अथवा [2][कानूनगो] के आदेश के बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा]।]

[3][(4) कलेक्टर प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर चाहे अन्तरणीय अधिकार वाला हो या नहीं असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक किसान बही (पास-बुक) तैयार करायेगा और उसे दिलवायेगा, जिसमें—

(क) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर से लिये गये ऐसे उद्धरण जिसमें उन सभी जोतों के विषय में जिनके सम्बन्ध में वह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित हो, होंगे;

(ख) उसमें स्वीकृत अनुदानों का विवरण होगा, और

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायें, होंगे :

परन्तु यह कि संयुक्त जोतों की स्थिति में इस उपधारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा, यदि किसान बही (पास-बुक) ऐसे अभिलिखित सह-अंशधारियों में से ऐसे या एक या एकाधिक को, जो विहित किया जाये, दी जाये।

(4-क) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसान बही (पास-बुक) ऐसी रीति से तैयार की जायेगी और ऐसे शुल्क के, जो भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर दी जायेगी, जैसा विहित किया जाये।

(5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बिना अतिरिक्त शुल्क दिये उप-धारा (2) के अधीन वार्षिक रजिस्टर में किये गये किसी संशोधन को अपनी किसान बही (पास-बुक) में समादिष्ट कराने का हकदार होगा।]

(6) राज्य सरकार इस धारा के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम निर्मित कर सकेगी, जिनमें विशिष्ट रूप से साक्ष्य को ग्रहण करने और न्यायिक कार्यवाहियों में किसान बही [4][पास बुक] में प्रविष्टियों के सबूत के ढंग और उसके पुनरीक्षण तथा अद्यतन अधिप्रमाणीकरण के ढंग और उसकी दूसरी प्रति को जारी करने के ढंग तथा उक्त प्रयोजनों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, को विहित करते हुए नियम शामिल है।

(7) इस धारा में "विहित" से राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(8) उपधारा (4) से (7) में किसी बात के होते हुए भी उन सन्दर्भों में लागू होंगे जो क्षेत्र चकबन्दी या अधिकार अभिलेख के अधीन है।]

---

1. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1958 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1992 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1992 के उ०प्र० अधिनियम सं० 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

रूपरेखा

1. प्रविष्टियों की दुरुस्ती।
2. खतौनी में नाम की दुरुस्ती।
3. कब्जे की डिक्री।
4. याचिका की पोषणीयता।
5. पुनरीक्षण की पोषणीयता।
6. रिट की पोषणीयता।
7. रिट याचिका की पोषणीयता।
8. दाखिल–खारिज कार्यवाही की प्रकृति।

1. प्रविष्टियों की दुरुस्ती—जब दीवानी वाद में पारित आज्ञप्ति को क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी गई है लेकिन यह निवेदित किया जाता है कि विनिश्चय प्रांगडन्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा तब भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33 एवं 39 के अन्तर्गत कार्यवाही में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के विनिश्चय को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है।[1]

2. खतौनी में नाम की दुरुस्ती—जहाँ कही और जब कभी विक्रय-विलेख के आधार पर कोई व्यक्ति खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लेता है और ऐसा विलेख सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तब कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में खतौनी को दुरुस्त करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता है बशर्ते कि अधिनियम, 1901 की धारा 34 के अधीन कार्यवाही को सुपुर्द करने के बजाय आज्ञप्ति ने अन्तिमता प्राप्त कर ली हो।[2]

3. कब्जे की डिक्री—राजस्व न्यायालय को जब कि वह अधिनियम की धारा 33/39 के अधीन आवेदन का विनिश्चय कर रहा होता है विक्रय विलेख को प्रारम्भतः शून्य धारित करते हुए दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति के पीछे जाने का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है और न ही दीवानी न्यायालय द्वारा निष्पादन में निष्पादन दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पीछे जाने का क्षेत्राधिकार है। दीवानी न्यायालय ने कब्जे की आज्ञप्ति के निष्पादन में कब्जाधारी को बेदखल कर दिया एवं याची को कब्जा प्रत्यावर्तित कर दिया इसलिए अधिकार अभिलेख में गलत प्रविष्टि को निकाल दिया जाय।[3]

4. याचिका की पोषणीयता—विधि में यह सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 33 एवं 39 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका वहाँ तक पोषणीय नहीं है जहाँ तक कि कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और अभिलिखित निष्कर्ष पक्षकारों पर या प्राधिकारियों पर या नियमित पक्ष के न्यायालयों पर आबद्धकारी नहीं है।[4]

5. पुनरीक्षण की पोषणीयता—यह सुस्थापित विधि है कि अधिनियम की धारा 33 एवं 39 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट (याचिका) उस समय विधितः पोषणीय नहीं है जबकि पुनरीक्षण के माध्यम से वैकल्पिक उपचार सुलभ है। ऐसे में अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत तत्काल प्रवेश उचित नहीं कहा जा सकता है।[5]

6. रिट की पोषणीयता—विधि में यह सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 33 एवं 39 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट विधितः पोषणीय नहीं है विशेषतः तब जबकि याची को पुनरीक्षण के माध्यम से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।[6]

---

1. *आदर्श एवं गृह निर्माण समिति लि० बनाम राजस्व बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ,* 2004 (1) आर०डी० 592।
2. *मोहम्माद अनीस बनाम अतिरिक्त कमिश्नर, इलाहाबाद मण्डल,* 2001 आर०डी० 761।
3. *मोहम्माद अनीस बनाम अतिरिक्त कमिश्नर, इलाहाबाद मण्डल,* 2001 आर०डी० 761।
4. *ग्यानमती (श्रीमती) बनाम अतिरिक्त कमिश्नर, (प्रशासन) बस्ती गण्डल,* 2002 आर०डी० 510।
5. *करी नैमुद्दीन बनाम कमिश्नर, मेरठ मण्डल, मेरठ,* 2002 आर०डी० 125।
6. *करी नैमुद्दीन बनाम कमिश्नर, मेरठ गण्डल, मेरठ,* 2002 आर०डी० 363।

7. **रिट याचिका की पोषणीयता**—यह सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 33 एवं 39 के माध्यम से पारित आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका पोषणीय नहीं होगी।[1]

8. **दाखिल-खारिज कार्यवाही की प्रकृति**—दाखिल-खारिज कार्यवाही प्रकृति से संक्षिप्त होती है एवं पक्षकारों के स्वत्व अन्तिम रूप से विनिश्चित नहीं किये जाते हैं। इन कार्यवाहियों में अभिलिखित निष्कर्ष एवं किये गये प्रेक्षण नियमित पक्षों पर कोई आबद्धकारी प्रभाव अर्जित नहीं करते है।[2]

[3][**33-क. अविरोध उत्तराधिकार के मामलों में वार्षिक रजिस्टरों का शुद्धिकरण**—(1) जहाँ कोई व्यक्ति उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करता है, कानूनगो ऐसी जाँच करेगा जैसी कि विहित की जाये और यदि मामला अविरोध हो तो वह उसे वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

[4][(2) उप-धारा (1) के उपबन्ध—

(i) किसी व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार स्वीकार किया गया है या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर, या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है,

(ii) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किया गया भूमि के प्रत्येक व्यवस्थापन को,

यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।]

34. **उत्तराधिकार अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट**—[5][(1) प्रत्येक व्यक्ति जो कि उत्तराधिकार अथवा अन्तरण के द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है (उस उत्तराधिकार या अन्तरण को छोड़कर जो कि धारा 33-क के अधीन पहले से ही अभिलिखित है) उस तहसील के तहसीलदार को जिसमें वह भूमि स्थित है, ऐसे उत्तराधिकार अथवा अन्तरण की रिपोर्ट देगा।

(2) [6][* * *]

(3) [7][* * *]

(4) यदि इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने या अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क है या अन्यथा अनर्हित है, तो संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसके प्रभार में सम्पत्ति है, इस धारा द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट करेगा।

(5) कोई राजस्व-न्यायालय इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने या अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई वाद या दिया गया आवेदन तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने इस धारा द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट न दी हो।

---

1. *जटा शंकर बनाम उ०प्र० राज्य* 2002 आर०डी० 387।
2. *अमरेन्द्र कौर बनाम कलेक्टर, रामपुर* 2003 (2) आर०डी० 211।
3. 1958 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 37 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1986 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा लोप किया गया।
7. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा लोप किया गया।

[1][*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'अन्तरण' में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(i) एक पारिवारिक बन्दोबस्त जिसके द्वारा अधिकार-अभिलेख में उस परिवार के एक या अधिक सदस्यों के नाम वह पूरी भूमि अथवा उसका कोई अंश अंकित है, किसी दूसरे सदस्य या दूसरे सदस्यों का स्वामित्व घोषित किया जाता है।

(ii) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 161 के अन्तर्गत किसी भूमि अथवा उसके किसी अंश का विनिमय।]

रूपरेखा

1. कार्यवाहियों का प्रशमन।
2. वैकल्पिक उपचार वर्जना नहीं।
3. दाखिल–खारिज कार्यवाहियों को चुनौती।
4. स्वत्व का अभिनिर्धारण।
5. अपवाद।
6. दाखिल–खारिज कार्यवाही की पोषणीयता।
7. दाखिल खारिज कार्यवाही की प्रकृति।
8. वसीयत की प्रकृति।
9. दाखिल–खारिज कार्यवाही में आदेश।
10. दाखिल–खारिज कार्यवाही से प्रोद्भूत याचिका।
11. धारा के अधीन कार्यवाही प्रकृति से संक्षिप्त है।
12. उत्तराधिकार या हस्तान्तरण।

1. कार्यवाहियों का प्रशमन—सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा (शिकायत) के संवातन (Ventilation) के लिए चकबंदी अधिकारी के पास जा सकता है, जहाँ कि अधिनियम की धारा 34 के अधीन तक आवेदन तहसीलदार के समक्ष पहले से ही लंबित है वहाँ यह अवधारित किया गया कि एक ही अनुतोष के लिए दो वाद दो भिन्न न्यायालय में साथ-साथ अनुज्ञात नहीं किये जा सकते हैं।[2]

2. वैकल्पिक उपचार वर्जना नहीं—धारा 34 के अधीन कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है और उसका परिणाम नियमित सक्षम न्यायालय के विनिश्चय के अधीन होता है। संक्षिप्त विनिश्चय को चुनौती देने वाली रिट याचिका मामूली तौर पर पोषणीय नहीं है क्योंकि याची के पास सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों को न्याय निर्णीत कराने का वैकल्पिक उपचार होता है। इस सक्षम न्यायालय से जिसे प्रश्नगत अधिकार के न्यायनिर्णयन के लिए ले जाया गया है। विवादास्पद विषय को परिरक्षित करने के लिए उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की जा सकती है।[3]

3. दाखिल-खारिज कार्यवाहियों को चुनौती—बिना क्षेत्राधिकार के पारित आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद भी ग्रहण की जा सकती है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जबकि वह पाता है कि सारभूत न्याय प्राप्त करने मे पक्षकार को नुकसान हुआ था। अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दाखिल खारिज कार्यवाही से प्रोद्भूत रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।[4]

4. स्वत्व का अभिनिर्धारण—धारा 34 के अधीन कब्जा के आधार पर कार्यवाहियाँ मात्र संक्षिप्त कार्यवाहियाँ है जोकि स्वत्व (हक) से सम्बन्धित किसी प्रश्न का विनिश्चय नहीं करती है और दाखिल-खारिज कार्यवाहियों में पारित आदेश नियमित वाद में अपने अधिकारों को न्यायनिर्णीत कराने के व्यक्ति के मार्ग में नहीं आती है। दाखिल-खारिज कार्यवाहियों में पारित आदेश सक्षम न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अधीन होती है।[5]

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. *हैदर अली बनाम अतिरिक्त कमिश्नर (प्रशासन), वाराणसी* 2002 (93) आर०डी० 527।
3. *नरेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती लीला माथुर* 2004 (2) आर०डी० 642 (एल०बी०)।
4. *महावीर बनाम राजस्व मण्डल* 2002 (93) आर०डी० 882।
5. *लाल बचन बनाम राजस्व मण्डल उ०प्र० लखनऊ* 2002 (93) आर०डी० 6।

5. अपवाद—न्यायालय की खण्ड पीठ ने *जयपाल माइनर* बनाम *राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद एवं अन्य* में अपवाद धारित किये हैं जिनमें दाखिल-खारिज कार्यवाही से प्रोद्भूत रिट याचिका में हस्तक्षेप किया जा सकता है।[2]

6. दाखिल-खारिज कार्यवाही की पोषणीयता—संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश से पीड़ित पक्षकार अपने अधिकारों की घोषणा एवं अन्य उचित अनुतोषों के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकता है। दाखिल-खारिज कार्यवाही के प्रकृति से संक्षिप्त होने के कारण इन कार्यवाहियों में पक्षकारों के स्वत्व (हक) विनिश्चित नहीं किये जाते हैं। उक्त कार्यवाहियों में पारित आदेश कोई आबद्धकारी बल नहीं रखते हैं और न ही प्रांड्ग्य न्याय के रूप में प्रवृत्त होते हैं।[3]

7. दाखिल खारिज कार्येवाही की प्रकृति—जहाँ इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाहियाँ दाखिल-खारिज कौर्यवाहियाँ होती है जो कि संक्षिप्त प्रकृति की होती है, वहाँ यह सन्देह नहीं किया जा सकता है कि दाखिल-खारिज न्यायालय, पक्षकारों के स्वत्व (हक) से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न तथ्यगत विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए नियमित न्यायालय की तरह विषयों का निपटारा करने की शक्ति एवं सक्षमता से युक्त नहीं होता है और ऐसे से दोनों पक्षकारों के उपचार उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 229-ख के अन्तर्गत वाद दाखिल करके सक्षम न्यायालय में जाने का है।[4]

8. वसीयत की प्रकृति—वसीयत के प्रभावी होने के पूर्व अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दाखिल खारिज का कोई भी आवेदन पोषणीय नहीं हो सकता है क्योंकि वसीयत हस्तान्तरणीय नहीं है, लेकिन वसीयत के प्रभावी होने के पश्चात् दाखिल-खारिज का आवेदन पूर्णतः पोषणीय है क्योंकि वसीयत के प्रभावी होने के पश्चात् कथित मृतक की भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त करता है और उक्त उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाना अनुध्यात है।[5]

9. दाखिल-खारिज कार्यवाही में आदेश—दाखिल-खारिज कार्यवाही में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश निश्चायक नहीं होते हैं क्योंकि नियमित हक सम्बन्धी वाद में सक्षम न्यायालय दाखिल-खारिज कार्यवाही में राजस्व-न्यायालय द्वारा किये गये प्रेक्षणों की उपेक्षा कर सकता है।[6]

10. दाखिल-खारिज कार्यवाही से प्रोद्भूत याचिका—जहाँ कि दाखिल खारिज कार्यवाही पक्षकारों के अधिकारों को न्याय निर्णीत नहीं करती है वहाँ दाखिल-खारिज कार्यवाही में पारित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ऐसी कार्यवाहियाँ पक्षकारों के अधिकारों को न्यायनिर्णयन नहीं करती है और दाखिल-खारिज में पारित आदेश हमेशा न्यायनिर्णयन के अधीन होते हैं।[7]

11. धारा के अधीन कार्यवाही प्रकृति से संक्षिप्त है—दाखिल-खारिज न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष मात्र संक्षिप्त कार्यवाही में होते हैं और उस वक्त कोई मायने नहीं रखते हैं जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किये गये अधिकार के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा हक न्यायनिर्णीत किया जाता है। दाखिल-खारिज न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या हस्तान्तरण या उत्तराधिकार हुआ है या नहीं, साक्ष्यों की परीक्षा करने की अधिकारिता होती है। दाखिल खारिज न्यायालय द्वारा पारित आदेश उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अधीन अधिकारिता विहीन या अधिकारिता के आधिक्य में नहीं कहे जा सकते हैं।[8]

---

1. 1956 ए०एल०जे० 807 ।
2. *महावीर* बनाम *राजस्व मण्डल*, 2002 (93) आर०डी० 882।
3. *नगई* बनाम *राजस्व मण्डल*, 2002 (93) आर०डी० 365।
4. *साहिद जान उर्फ बन्दे* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र० लखनऊ*, 2004 (1) आर०डी० 656।
5. *बिन्देश्वरी* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र० लखनऊ*, 2002 (93) आर०डी० 134।
6. *काली शंकर द्विवेदी* बनाम *राजस्व मण्डल*, 2001 आर०डी० 287।
7. *बिन्देश्वरी* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र० लखनऊ*, 2002 (93) आर०डी० 134।
8. *विश्वनाथ* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ*, 2004 (1) आर०डी० 678।

12. उत्तराधिकार या हस्तान्तरण—अधिनियम की धारा 34 यह उपबन्धित करती है कि उत्तराधिकार या हस्तान्तरण के माध्यम से किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति तहसील के तहसीलदार को ऐसे उत्तराधिकार अथवा अन्तरण की सूचना देगा।[1]

[2][**35. प्रतिवेदन पर प्रक्रिया**—धारा 34 के अधीन उत्तराधिकार या अन्तरण का प्रतिवेदन प्राप्त करने पर या अन्यथा उसके तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और यदि उत्तराधिकार या अन्तरण घटित हुआ प्रतीत होता है, तो वह वार्षिक रजिस्टरों को तद्नुसार संशोधित करने का निर्देश देगा।]

36. [3][* * *]।

37. नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के लिये शुल्क निर्धारित करने की शक्ति—(1) रजिस्टरों में दाखिल-खारिज के लिये उचित शुल्क [4][राज्य सरकार] निर्धारित कर सकती है :

परन्तु यह कि किसी एकल दाखिल-खारिज के लिये शुल्क [5][पाँच] रुपये से अधिक नहीं होगा,

(2) ऐसा शुल्क उस व्यक्ति पर लगाया जायेगा जिसके पक्ष में दाखिल-खारिज किया जा रहा है [6][* * *]

38. प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करने में उपेक्षा के लिए दण्ड—यदि कोई व्यक्ति [7][* * *] पट्टे के मामले में कब्जा प्राप्त करने की तारीख से या उत्तराधिकार या अन्य अन्तरण की तारीख से तीन मास के भीतर धारा 34 द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन करने की उपेक्षा करता है, तो वह दण्ड का भागी होगा जो धारा 37 के अन्तर्गत देय शुल्क की राशि के पाँच गुने से अधिक नहीं होगी, या यदि कोई शुल्क न लगने वाला हो तो, ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जो [8][राज्य सरकार] नियम द्वारा विहित करे।

[9][**39. वार्षिक पंजिका में अशुद्धियों की शुद्धि**—(1) वार्षिक पंजिका में किसी अशुद्धि या उपेक्षा के सुधार के लिये प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को दिया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पाने पर या वार्षिक पंजिका में कोई अशुद्धि या उपेक्षा अन्यथा उसकी जानकारी में आने पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और तब वह मामले को कलेक्टर के पास भेजेगा, जो धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार विवाद का निर्णय करे, उसका निस्तारण करेगा।

[10][परन्तु इस उप-धारा का तात्पर्य कलेक्टर को हक के प्रश्न को अन्तर्विष्ट करने वाले किसी विवाद को निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करना न होगा।]

(3) उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी अन्य व्यवस्था के होने के बावजूद, उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान प्रभावी होंगे।

---

1. *लाल बचन बनाम राजस्व मण्डल* उ०प्र०, लखनऊ, 2002 (93) आर०डी० 6।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 की अनुसूची III की सूची II द्वारा लोप किया गया।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा लोप किया गया।
7. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
8. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा अन्तःस्थापित।

टिप्पणी

प्रकृति—धारा 39 की सूक्ष्म संवीक्षा यह प्रकट करती है कि जब वार्षिक रजिस्टर में किसी त्रुटि या लोप के सुधार के लिए तहसीलदार को आवेदन किया जाता है तब उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अथवा वार्षिक रजिस्टर में कोई त्रुटि या लोप उसके जानकारी में अन्यथा आने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो और मामले को कलेक्टर को निर्देशित करेगा जोकि धारा 40 के प्रावधानों के अनुसंगत विवाद का विनिश्चय करते हुए इसका निस्तारण करेगा परन्तु इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थान्वयन नहीं किया जायेगा कि वह कलेक्टर को हक के प्रश्न को अन्तवर्लित करने वाले विवाद को विनिश्चित करने के लिए सशक्त करती है।[1]

40. वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में विवादों का निपटारा—(1) वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में सभी विवादों का निर्णय कब्जे के आधार पर किया जायेगा।

(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद की जाँच के दौरान, [2][कलेक्टर या तहसीलदार] अपने को इस बात से सन्तुष्ट नहीं कर पाता है कि कौन पक्षकार काबिज है, तो वह संक्षेप-जाँच द्वारा निश्चित करेगा कि कौन व्यक्ति सम्पत्ति का उत्तम अधिकारी है और ऐसे व्यक्ति को काबिज करायेगा।

(3) [3][* * *]

स्पष्टीकरण—इस धारा में शब्द "कब्जा" का अर्थ उत्तराधिकार या अन्तरण पर आधारित कब्जा है।

[4][**40-क. आगम वादों के विषय में व्यावृत्ति**—धारा 33, 35, 39, 40, 41 या धारा 54 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में जोत के अधिकार के आधार पर वाद योजित करने से निरोधित नहीं करेगा।]

टिप्पणी

वैकल्पिक अनुतोष का प्रावधान—अधिनियम की धारा 33/39 के अधीन सुधार कार्यवाही में पारित आदेश से पीड़ित व्यक्ति उसे चुनौती दे सकता है और न्यायालय का निर्णय सुधार कार्यवाही में पारित आदेश को रद्द कर देगा।[5]

41. सीमा विवादों का समझौता—(1) सीमा सम्बन्धी सभी विवादों का समझौता यथासम्भव वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर किया जायेगा, लेकिन यदि ऐसा सम्भव न हो तो सीमायें वास्तविक कब्जे के आधार पर निश्चित की जायेंगी।

(2) यदि, इस धारा के अन्तर्गत विवाद की जाँच के दौरान, कलेक्टर अपने को इस बात पर सन्तुष्ट करने में असमर्थ पाता है कि कौन पक्षकार काबिज है, या यदि यह दिखाया जाता है कि जाँच प्रारम्भ होने के पहले तीन मास के भीतर सम्पत्ति के वैध अध्यासियों को गलत तरीके से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो कलेक्टर—

(क) पहली सूरत के संक्षेप जाँच द्वारा पता लगायेगा कि सम्पत्ति का उत्तम अधिकारी कौन व्यक्ति है तथा ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा,

---

1. *मोहम्मद अनीस* बनाम *अतिरिक्त कमिश्नर, इलाहाबाद मण्डल*, 2001 (92) आर०डी० 761।
2. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा लोप किया गया।
4. 1970 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 35 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. *श्रीमती मनोरमा देवी* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र० लखनऊ*, 2004 (4) आर०डी० 606 (उत्तरांचल)।

(ख) दूसरी सूरत में इस प्रकार बेदखल किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा, और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

टिप्पणी

सीमा-विवाद—सीमा-परिसीमन से सम्बन्धित कार्यवाही विशुद्ध रूप से संक्षिप्त प्रकृति की होती है। यह धारा किसी व्यक्ति को उसके जोत पर की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिचारी की बेदखली के लिए वाद चलाने पर कोई भी वर्जन नहीं अधिरोपित करती है। ऐसे वादों के अन्तर्गत, सर्वप्रथम सीमा परिनिर्धारित की जाती है तत्पश्चात् वाद अग्रसर होता है।[1]

41-क. [2][* * *]

42. [3][* * *]

43. जब देय लगान विवादग्रस्त हो तब प्रक्रिया—[4][जोतदार] द्वारा देय [5][भू-राजस्व या] लगान के विषय में प्रक्रिया विवादग्रस्त हो तब, कलेक्टर विवाद का निर्णय नहीं करेगा, बल्कि पिछले वर्ष देय [6][भू-राजस्व या] लगान, जिसका उल्लेख वार्षिक पंजिका करती है, उस वर्ष के लिये देय दर्ज कर देगा, जब तक कि उसे इस अधिनियम [या संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939][7] [8][या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950] के अन्तर्गत करार या आदेश द्वारा बढ़ा या समाप्त न कर दिया गया हो।]

[9][**44. वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में उपधारणा**—वार्षिक पंजिका में सभी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाये, सत्यता की उपधारणा की जायेगी।]

[10][**45.** [* * *]]

46. अभिलेखों की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करने का कर्तव्य—कोई व्यक्ति, जिसके अधिकार, स्वत्व या दायित्व, तत्समय लागू किसी कानून या ऐसे कानून के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम द्वारा, कानूनगो या लेखपाल द्वारा सरकारी रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने अपेक्षित हों, कानूनगो या लेखपाल या रजिस्टर की तैयारी में लगे किसी राजस्व अधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर, उनकी ठीक से तैयारी के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

47. अभिलेखों का निरीक्षण—इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले सभी मानचित्र, फील्ड-बुक और रजिस्टर ऐसे समय पर और फीस के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा, जैसा कि [11][राज्य सरकार] विहित करे, लोक-निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

---

1. *रमेश पाल सिंह* बनाम *राजस्व मण्डल, उ०प्र०*, 2002 आर०डी० 228।
2. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
3. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
4. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा बढ़ाया गया।
9. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
11. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 4

मानचित्रों और अभिलेखों का पुनरीक्षण

48. अभिलेख-प्रवर्तन की अधिसूचना—यदि [1][राज्य सरकार] यह समझती है कि किसी जिले अन्य स्थानीय क्षेत्र में, अभिलेखों का कोई सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या ी, किया जाना चाहिए, तो वह इस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

अधिसूचना का परिणाम—तथा ऐसा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र, अभिलेख या सर्वेक्षण संक्रियाओं या ी के, जैसी भी स्थिति हो, अधिसूचना के दिनांक से जब तक कि दूसरी अधिसूचना उन क्रियाओं को बन्द किये जाने की घोषणा करते हुये जारी न की गई हो, अन्तर्गत रखा जायेगा।

49. अभिलेख अधिकारी—[2][राज्य सरकार] किसी स्थानीय क्षेत्र में अभिलेख-कार्यवाहियों या क्षण या दोनों, यथास्थिति, के प्रभारी के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, जिसे में इसे पश्चात अभिलेख-अधिकारी कहा जायेगा तथा जितने उचित समझे सहायक लेख-अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, और जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिलेख वाही या सर्वेक्षण, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन रहे, उस दौरान में ऐसे अधिकारी इस नियम द्वारा उन्हें प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

[3][**50. सीमा चिन्ह निर्धारित करने के विषय में अभिलेख-अधिकारी की शक्ति**—जब कोई नीय क्षेत्र सर्वेक्षण संक्रियाओं के अन्तर्गत हो, अभिलेख अधिकारी एक उद्घोषणा जो सभी ग्राम ाओं और भूमिधरों को 15 दिन के भीतर ऐसे सीमा-चिन्ह निर्धारित करने के लिये, जैसा कि वह ी और खेतों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए आवश्यक समझे, निर्माण करने के लिए ी कर सकता है और उस उद्घोषणा में उल्लिखित समय के अन्दर उनका पालन करने में चूक दशा में वह ऐसे सीमा-चिन्हों का निर्माण करा सकता है और कलेक्टर उनके निर्माण का व्यय, बन्धित ग्राम-सभाओं या भूमिधरों से वसूल करेगा।]

51. विवाद का निर्णय—किन्हीं सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद के विषय में अभिलेख-अधिकारी 41 में विहित ढंग से निर्णय करेगा।

52. पुनः सर्वेक्षण में तैयार किये जाने वाले अभिलेख—जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रियाओं के अन्तर्गत हो तो अभिलेख-अधिकारी उसमें स्थित प्रत्येक गाँव के लिये एक मानचित्र ा फील्ड-बुक तैयार करेगा जो तदुपरान्त, पहले से वर्तमान मानचित्र तथा फील्ड-बुक के स्थान कलेक्टर द्वारा धारा 28 में उपबन्धित के अनुसार रखा जायेगी।

[4][**53. नये अधिकार-अभिलेखों की तैयारी**—जब कोई स्थानीय क्षेत्र अभिलेख कार्यवाही के र्गत हो, तो अभिलेख-अधिकारी उसमें प्रत्येक गाँव के लिये धारा 32 में निर्दिष्ट अभिलेख तैयार गा, और इस प्रकार तैयार किये गये अभिलेख तदुपरान्त पहले धारा 33 के अधीन रखे जा रहे कार-अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर द्वारा रखे जायेंगे।]

[5][**54.** (1) इस अध्याय के अन्तर्गत मानचित्रों और अभिलेखों के पुनरीक्षण के लिये, दुपश्चात् उपबन्धित प्रावधानों के अध्यधीन, अभिलेख-अधिकारी सर्वेक्षण करायेगा, मानचित्र शुद्ध

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 1977 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 1978 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

येगा, खेतों की पड़ताल करायेगा और वर्तमान वार्षिक पंजिका की विहित प्रक्रिया के अनुसार
और सत्यापन करायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अनुसार वर्तमान वार्षिक रजिस्टर की जाँच और सत्यापन के बाद, ब-तहसीलदार ऐसे रजिस्टर में लेखन भूलों और त्रुटियाँ, यदि कोई हों, को दुरुस्त करेगा, और घित काश्तकार और दूसरे हितबद्ध व्यक्तियों को वर्तमान वार्षिक रजिस्टर से तथा ऐसे दूसरे लेखों से, जैसे कि विहित किये जायें उद्धरण से अन्तर्विष्ट सूचना जारी करेगा, जिसमें भूमि से द्ध उनके अधिकारों और दायित्वों तथा संक्रियाओं के दौरान उक्त उपधारा में उल्लिखित खोजे विवादों का उल्लेख करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है, ऐसे अभिलेखों उद्धरणों में प्रविष्टियों की प्रकृति या शुद्धता को विवादित करते हुये, नोटिस की प्राप्ति के क से 21 दिन के भीतर नायब-तहसीलदार के समक्ष आक्षेप दाखिल कर सकता है।

(4) कोई भी भूमि में हितबद्ध व्यक्ति भी उप-धारा (5) के अनुसार विवाद का निर्णय होने के किसी भी समय नायब-तहसीलदार के समक्ष, या सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष किसी मय, इससे पूर्व कि आक्षेप उप-धारा (6) के अनुसार निर्णीत हो, आक्षेप दायर कर सकता है।

(5) नायब-तहसीलदार—

(क) जहाँ आक्षेप उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अनुसार दाखिल किये जाते हैं, तो सम्बद्ध पक्षकारों का सुनने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे;

द्ध को तय करेगा और त्रुटि को, उसके समक्ष प्रकट होने वाले पक्षकारों के मध्य हुई सुलह के ार, ठीक करेगा, और ऐसी सुलह के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(6) ऐसे सभी मामलों के अभिलेख जो कि नायब-तहसीलदार द्वारा उप-धारा (5) द्वारा अपेक्षित द्वारा निस्तारित नहीं किये जा सकते हैं, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिये जायेंगे उनको धारा 40, 41 या 43 के प्रावधानों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, निस्तारित करेगा और विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्विष्ट है, वह उसे एक संक्षिप्त जाँच के बाद निर्णीत करेगा।

(7) यदि उप-धारा (6) के अन्तर्गत संक्षिप्त जाँच के पश्चात् सहायक अभिलेख-अधिकारी ष्ट हो जाये कि विवादित भूमि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की है, तो वह ऐसी भूमि प्राधिकृत कब्जे में व्यक्ति को बेदखल करायेगा, और उस प्रयोजन के लिये इतना बल प्रयोग सकता है या प्रयोग करा सकता है, जितना कि आवश्यक हो।

(8) सहायक-अभिलेख अधिकारी का—

(क) उप-धारा (6) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 और 219 के प्रावधानों के अध्यधीन अन्तिम होगा;

(ख) उप-धारा (7) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, व्यथित व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में योजित किये गये वाद के परिणाम के अध्यधीन अन्तिम होगा।]

रूपरेखा

1. नामों का काटना। 2. प्रावधान प्रकृति से आज्ञापक है।

1. नामों का काटना—अधिनियम की धारा 54(8)(क) के अधीन ए०आर०ओ० के आदेश द्वारा याची के नाम को राजस्व अभिलेखों में पहले ही अभिलिखित किया गया था लेकिन 8 से 9 वर्ष की अवधि के पश्चात, उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना नामों को काट दिया गया थां यह स्पष्ट है कि वे सभी व्यक्ति जिन्हें पट्टा अनुदत्त किया गया था अब भी जीवित हैं और याचिकाकर्ता उन्हें मृत एवं स्वयं को उनका उत्तराधिकारी दर्शित कर रहे हैं एवं कपट द्वारा पट्टा प्राप्त कर लिया है।[1]

2. प्रावधान प्रकृति से आज्ञापक है—अधिनियम की धारा 54 के अधीन कार्यवाहियाँ प्रकृति से आज्ञापक हैं। ए०आर०ओ० ने अधिनियम की धारा 54(8)(क) के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया है एवं आदेश भी पारित किया है। यह आदेश अधिनियम की धारा 210 एव 219 के अन्तर्गत अन्तिम है।[2]

[3][**55. खेतिहरों की सूची में वर्णित होने वाली प्रविष्टियाँ**—ऐसे व्यक्तियों का रजिस्टर जो खेती कर रहे हों या धारा 32 में विनिर्दिष्ट भूमि पर अन्यथा काबिज हो, प्रत्येक जोतदारों के बारे में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ विनिर्दिष्ट करेगा :—

(क) धृति (Tenure) का वर्ग जैसा कि उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 द्वारा निर्धारित किया गया हो;

(ख) जोतदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान; तथा

(ग) धृति (Tenure) की कोई अन्य शर्त जो [4][राज्य सरकार], धारा 234 के अन्तर्गत, अभिलिखित किया जाना अपेक्षित करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ जिस वर्ष के लिए रजिस्टर तैयार किया गया है, उसे एक पूरा साल गिना जायेगा।]

56. [5][* * *]

57. प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा—इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार-अभिलेखों की प्रविष्टियों को, जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाये सही माना जायेगा, और विवादों के मामलों में इस अध्याय के अन्तर्गत किये गये सभी निर्णय, धारा 40 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, विवाद की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में सभी राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होंगे परन्तु ऐसी कोई प्रविष्टि या निर्णय भूमि में किसी व्यक्ति के किसी हित को, जिसका दर्ज होना, धारा 32 [6][* * *] द्वारा विहित रजिस्टरों में अपेक्षित है, सिविल न्यायालय में दावा स्थापित करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय 5 से 8

[7][× × ×]

अध्याय 9

राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया

189. न्यायालय लगाने का स्थान—आयुक्त अपने खण्ड में किसी स्थान पर अपना न्यायालय लगा सकता है।

---

1. *प्रेम नाथ* बनाम *उ०प्र० राज्य*, 2005 (1) आर०डी० 487।
2. *प्रेम नाथ* बनाम *उ०प्र० राज्य*, 2005 (1) आर०डी० 487।
3. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
6. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
7. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 की अनुसूची III सूची II क्रम सं० 8 द्वारा धारा 58 से 188 लोप की गयी।

अतिरिक्त आयुक्त उस खण्ड या खण्डों में, जिसमें या जिनके लिये उसे नियुक्त किया गया है, किसी स्थान पर अपना न्यायालय लगा सकता है।

कलेक्टर, [1][अतिरिक्त कलेक्टर], सहायक कलेक्टर (चाहे वह जिले के किसी उपखण्ड का प्रभारी हो अथवा नहीं), अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख-अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त-अधिकारी, जिस जिले में उसे नियुक्त किया गया है उसके किसी स्थान पर अपना न्यायालय लगा सकता है।

तहसीलदार अपनी तहसील में किसी स्थान पर अपना न्यायालय लगा सकता है।

190. भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने की शक्ति—कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी और उनके सहायक, अधीनस्थ, सेवक, अभिकर्ता तथा कर्मकार भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं तथा भूमि का सर्वेक्षण कर सकते हैं, तथा सीमा निश्चित कर सकते हैं तथा इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी कृत्य सम्पादित कर सकते हैं।

[2][191. मामलों का अन्तरण करने के लिए परिषद या आयुक्त की शक्ति—परिषद अथवा आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही जिसमें कि एक विभाजन परिवाद भी सम्मिलित होगा, को किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी से किसी अन्य न्यायालय अथवा अधिकारी के पास, जो कि उसे विचारित करने के लिए सक्षम हो, अन्तरित कर सकता है।]

192. वादों को अधीनस्थों की ओर से अन्तरण करने की शक्ति—कलेक्टर, जिले के किसी उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत या अन्यथा उत्पन्न होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपने यहाँ से अपने किसी ऐसे अधीनस्थ को जाँच या निर्णय के लिए, भेज सकता है जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निपटारा करने के लिए सक्षम हो,

या किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपने किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के यहाँ से वापस मंगाकर स्वयं उसका निपटारा कर सकता है या उसे निपटाये जाने के लिए किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी के पास भेज सकता है जो उसका निपटारा करने के लिये सक्षम हो।

[3][192-क. मामलों का समेकन—जहाँ एक से अधिक मामलों में निर्धारण के लिए सारतः वही प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और वे उसी वाद-कारण पर आधारित हों और एक से अधिक न्यायालयों में चल रहे हों, किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालय को आवेदन दिये जाने पर जिसके अधीन सम्बन्धित अदालत या अदालतें हैं, एक ही न्यायालय में समेकित किये जायेंगे तथा एक ही निर्णय द्वारा उनका निर्णय किया जायेगा। ऐसे मामले सीधे उच्च अदालत में दायर किये जा सकते हैं।]

193. साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति—कोई राजस्व न्यायालय किसी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, अपने सामने चल रही किसी जाँच, वाद या अन्य कार्य के प्रयोजन के लिए सम्मन कर सकता है।

इस प्रकार सम्मन किये गये व्यक्ति, हाजिर होने के लिए स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता

---

1. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

द्वारा जैसा कि ऐसा न्यायालय निर्देश दे, और जिस विषय के सम्बन्ध में उनकी पृच्छा की जाये उसके विषय में सत्य बातें कहने या बयान देने,

और ऐसे कागजात या अन्य चीजें पेश करने के लिए, जैसा कि अपेक्षित किया जाये, बाध्य होंगे;

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 और 133 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त व्यक्ति, उन धाराओं के प्रावधानों के अध्यधीन इस धारा के अन्तर्गत व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त होंगे।

194. सम्मन के अननुपालन की दशा में प्रक्रिया—यदि कोई व्यक्ति, जिस पर साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन तामील हो चुका है, सम्मन का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह अधिकारी जिसने सम्मन जारी किया है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16, नियम 10 से 13 तक, 17 और 18 द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

195. सम्मन का लिखित, हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होना—प्रत्येक सम्मन लिखित तथा द्विप्रतिक होगा, तथा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह इसके लिये सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जायेगा।

सम्मन की तामील सम्मन किये गये व्यक्ति को उसकी एक प्रति के निविदान या परिदान द्वारा की जायेगी, यदि उसका पता नहीं चल सकता है तो सम्मन की एक प्रति उसके आम तौर से निवास स्थान के किसी सहज-दृश्य भाग पर चिपका कर की जायेगी, और यदि ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे जिले में निवास करता है, तो सम्मन डाक द्वारा उस जिले के कलेक्टर के पास तामील किये जाने के लिये भेजा जायेगा।

196. नोटिस तामील करने का तरीका—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस उस व्यक्ति पर जिस पर उसकी तामीली होनी है, निविदान या परिदान द्वारा या उसकी एक प्रति भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अन्तर्गत रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर या यदि ऐसा व्यक्ति भूमि का स्वामी है तो उसके अभिकर्ता (एजेण्ट) को परिदान या निविदान द्वारा,

या किसी लोक समागम के स्थान पर या भूमि के निकट किसी स्थान पर, जिसका हवाला नोटिस में दिया गया है, नोटिस की एक प्रति चिपका कर।

197. उद्घोषणा जारी करने का तरीका—जब कभी इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तो उद्घोषणा की प्रतियाँ उद्घोषणा जारी करने वाले अधिकारी के न्यायालय के भवन में, उस तहसील में, जिसमें उल्लिखित भूमि स्थित है, जहाँ के तत्सम्बन्धी मुख्यालय में, तथा किसी लोक समागम के स्थान या भूमि के निकट किसी स्थान में जिसका हवाला उद्घोषणा में दिया गया है; और यदि उसको जारी करने वाला ऐसा निदेश दे, तो उद्घोषणा का प्रकाशन ऐसी भूमि पर या उसमें उल्लिखित भूमि पर ढोल पीट कर किया जायेगा।

198. नोटिस या उद्घोषणा गलती के कारण शून्य न होगी—व्यक्ति के नाम या पदनाम में या उसमें उल्लिखित किसी भूमि के विवरण में किसी भूल के कारण, कोई नोटिस या उद्घोषणा शून्य नहीं समझी जायेगी, जब तक ऐसी भूल से सारवान अन्याय न हुआ हो।

199. गवाहों की हाज़िरी पाने के लिये प्रक्रिया—यदि न्यायिक प्रकृति की किसी कार्यवाही में, जो किसी राजस्व न्यायालय में लम्बित हो, कोई पक्षकार किसी गवाह की उपस्थिति चाहता है, तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16, नियम 2 से 4 तक में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

[1][**200. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई**—जब कार्यवाही का कोई पक्षकार सम्मन में निर्दिष्ट दिनांक पर जिस तक मामला स्थगित कर दिया गया हो, उपस्थित होने में उपेक्षा करता है, तो न्यायालय चूक के कारण मामले को खारिज कर सकता है या सुनवाई कर सकता है और एक तरफा डिक्री पारित कर सकता है।]

201. एकपक्षीय या चूक के कारण पारित आदेशों से अपील नहीं—धारा 200 के अन्तर्गत, एक-तरफा या चूक के कारण पास किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

अनुपस्थिति के लिये उपयुक्त कारण को सिद्ध करने पर पुनः सुनवाई—लेकिन ऐसे सभी मामलों में यदि वह पक्षकार जिसके विरुद्ध फैसला दिया गया है, स्वयं या किसी अभिकर्ता (एजेण्ट) द्वारा हाजिर होता है (ऐसे आदेश के पन्द्रह दिन के भीतर, यदि पक्षकार वादी है, और यदि वह प्रतिवादी है, आदेश उसे सूचित किये जाने, या फैसले को लागू किये जाने के किसी प्रकार के निष्पादन के पन्द्रह दिन के भीतर या इससे पहले), और अपनी अनुपस्थिति के समर्थन में युक्तियुक्त कारण दिखाता है, और आदेश देने वाले अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि अन्याय हुआ है तो ऐसा अधिकारी, खर्चे की ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जिसे वह उचित समझे मामलों को पुनर्जीवित कर सकता है और मामले को न्याय के अनुसार आदेश को विखण्डित अथवा परिवर्तित कर सकता है।

विरोधी पक्षकार को बिना बुलाये आदेश परिवर्तित नहीं होगा—परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक उलटा या बदला नहीं जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया है, पहले से सम्मन करके अपने समर्थन में सुन न लिया जाये।

202. गलती या लोप की शुद्धि—कोई न्यायालय या अधिकारी जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में कोई आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश के **90** दिनों के भीतर या तो स्वयं अपनी ओर से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भूल या लोप का सुधार सकेगा, यदि उससे मामले के किसी सारवान भाग पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा पक्षकारों को ऐसी नोटिस देने के पश्चात्, जैसा कि आवश्यक हो।

203. विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति—राजस्व परिषद, आयुक्त, [2][अतिरिक्त आयुक्त], कलेक्टर [3][अतिरिक्त कलेक्टर] और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, अभिलेख-अधिकारी, या सहायक अभिलेख अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उनके सामने चल रहा कोई विवाद, पक्षकारों की सहमति से आदेश द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

204. मध्यस्थता के लिए भेजे गये मामलों में प्रक्रिया—धारा 203 के अन्तर्गत मध्यस्थता के लिये भेजे गये सभी मामलों में माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के प्रावधान लागू होंगे, जहाँ तक वे अधिनियम में किसी बात से असंगत न हों।

205. पंचाट को खारिज करने के लिए आवेदन—पंचाट को खारिज कराने के लिए आवेदन पंचाट की सुनवाई के लिये निश्चित दिनांक के बाद दस दिन के भीतर दिया जायेगा।

206. पंचाट के अनुसार निर्णय—यदि निर्देश करने वाले अधिकारी को इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि पंचाट या उसमें उल्लिखित किसी मामले को पुनः विचारार्थ मध्यस्थता

---

1. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

के लिये भेजा जाये, तथा यदि पंचाट को अपास्त कराने के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है, या यदि उसने ऐसे आवेदन को नामन्जूर कर दिया है, तो वह मामले को पंचाट के अनुसार निर्णीत करेगा, या यदि पंचाट उसके समक्ष एक विशेष मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे मामलों में अपने मतानुसार निर्णीत करेगा।

207. सिविल न्यायालय में वाद और अपील पर अवरोध—ऐसा निर्णय तुरन्त कार्यान्वित किया जायेगा और इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी, जब तक कि निर्णय पंचाट के परे है या पंचाट के अनुसार नहीं है, या जब तक कि निर्णय के विरोध में यह कहा जाता है कि विधि या तथ्य की दृष्टि में कोई वैध पंचाट नहीं है;

और कोई व्यक्ति पंचाट को खारिज कराने के प्रयोजन के लिए या मध्यस्थों के विरुद्ध उनके पंचाट के कारण कोई वाद योजित नहीं करेगा।

208. जुर्माने और खर्चों की वसूली—पक्षकार और पक्षकार के बीच खर्चे के अलावा, सभी फीस, जुर्माने, खर्चे और इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान के लिये आदेशित दूसरी धनराशियाँ, उसी प्रकार वसूल की जा सकेंगी मानो वह राजस्व का बकाया हो।

एक राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम में किन्हीं विशिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय खर्च को प्रभाजित करने का अधिकार ऐसी रीति में होगा, जैसा वह उचित विचार करे :

परन्तु जब इस धारा के अन्तर्गत भूमि, [1][सरकार] को अदेय धनराशि हेतु विक्रय की जाती है, धारा 161 के परन्तुक ऐसे विक्रय पर लागू नहीं होंगे।

209. अचल सम्पत्ति के कब्जे का प्रदान—जब [2][यह आदेश किया जाये कि किसी व्यक्ति को अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाये] तो ऐसा आदेश देने वाला अधिकारी कब्जे का परिदान उसी रीति तथा उन्हीं अधिकारों सहित करेगा जो सभी अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी ही बातों के सिलसिले में दीवानी न्यायालय द्वारा, अपनी डिक्रियों के निष्पादन में वैधतापूर्वक प्रयोग किया जाता है।

अध्याय 10

अपील [× × ×][3] और पुनरीक्षण

210. न्यायालय जिन्हें अपीलें होंगी—[4][(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें निम्नलिखित प्रकार से हो सकेंगी—

(क) सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अभिलेख अधिकारी को;

[5][(ख) (i) कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी या सब-डिवीजन के प्रभारी सहायक कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध कमिश्नर को

(ii) सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी या तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध कलेक्टर को।]

---

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1941 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा शब्द निर्देश का लोप किया गया।
4. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) [1][* * *]

(2) [2][* * *]

(3) [3][* * *]

(4) [4][* * *]

(5) [5][* * *]

[6](6) धारा 28, 33 [7][* * *] 39 या 40 के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी।

211. पहली अपील—जब तक कि कोई आदेश इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप में अन्तिम नहीं किया गया है, धारा 210 के अन्तर्गत सुनवाई के लिए प्राधिकृत न्यायालय को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत हुई कार्यवाहियों में हुए मूल आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी।

212. [8][* * *]

213. [9][* * *]

[10][**214.** जब तक कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, शिकायत किये जाने वाले आदेश के पारित होने के दिनांक के तीस दिन बीत जाने पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।]

215. अपील ग्रहण करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील—भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 में निर्दिष्ट आधार पर अपील स्वीकार करते हुए आदेश के विरुद्ध अपील न हो सकेगी।

216. अपील न्यायालय की शक्तियाँ—अपील न्यायालय अपील को या तो स्वीकार कर सकती है या संक्षेपतः नामंजूर कर सकती है।

(2) यदि वह अपील को स्वीकार करती है, तो वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे पलट सकती है, बदल सकती है या उसकी पुष्टि कर सकती है,

या और जाँच किये जाने या अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने का निर्देश दे सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे,

या स्वयं ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकती है,

---

1. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा लोप किया गया।
2. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
3. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा लोप किया गया।
4. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा लोप किया गया।
5. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
6. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा बढ़ाया गया।
7. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा लोप किया गया।
8. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
9. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
10. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

या मामले के निपटारे के लिए ऐसे निर्देशों के साथ वापस कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

217. निचले न्यायालय के आदेश का निष्पादन रद्द करने की शक्ति—जब अपील न्यायालय में अपील स्वीकार की जाती है, तो अपील के परिणाम तक वह निदेश दे सकती है, कि निचले न्यायालय का आदेश रोक दिया जाये।

218. [1][* * *]

[2][219. पुनरीक्षण—(1) परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उसके द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले या ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मँगा सकता है जिसमें कोई अपील होती हो या अपील होती हो, किन्तु न की गयी हो और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने,—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, जो इस प्रकार निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उसमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।]

रूपरेखा

1. पुनरीक्षण की पोषणीयता।
2. राजस्व बार्ड के आदेश की पोषणीयता।
3. प्रकृति।
4. पूर्व में निर्दिष्ट मामले का निर्देश।

1. पुनरीक्षण की पोषणीयता—धारा 219 के अन्तर्गत कोई भी आदेश और उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 173 एवं 174 अथवा उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार एल०आर० नियमों के नियम 285-I के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा विनिश्चित मामले अथवा अवधारित कार्यवाही अधिनियम की धारा 333 के अधीन राजस्व मण्डल की पुनरीक्षण अधिकारिता के योग्य है।[3]

अधिनियम की धारा 219 में उल्लिखित प्राधिकारी अपने अधीन किसी भी राजस्व कार्यवाही के विरुद्ध पुनरीक्षण सुन सकता है। इसमें यह देखना होता है कि क्या इस उपधारा में उल्लिखित प्राधिकारी सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा विनिश्चित मामले के विरुद्ध पुनरीक्षण सुनने की शक्ति रखता है या नहीं और सहायक अभिलेख अधिकारी उनके अधीन है या नहीं।[4]

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. *अरविन्द कुमार बनाम एस०डी०ओ० फूलपुर आजमगढ़*, 2002 आर०डी० 520।
4. *राजकुमार बनाम राजस्व मण्डल यू०पी० लखनऊ* 2003 (1) आर०डी० 412 (एल०बी०)।

2. राजस्व मण्डल के आदेश की पोषणीयता—जबकि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष अभिलेख के आधार पर स्वप्रेरणा से शक्ति का प्रयोग कर लिया था तब पक्षकारों के मध्य किसी भी बिन्दु पर विनिश्चय यद्यपि कि वह बिन्दु पुनरीक्षण के अधीन विषय वस्तु पर आदेश से उद्भूत नहीं हुआ था लेकिन पुनरीक्षण में विनिश्चित किया गया था, दूसरा पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।[1]

3. प्रकृति—उ०प्र० भूमि सुधार अधिनियम धारा 219 का प्रतिस्थापन भविष्य लक्षी प्रभाव रखता है और यह धारा संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन में आने के समय पुनरीक्षण में लम्बित मामलों को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए असंशोधित विधि प्रवर्तनीय होगी। निचली अदालत के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण भूमि सुधार अधिनियम की नई प्रतिस्थापित धारा 219 से प्रभावित नहीं था।[2]

4. पूर्व में निर्दिष्ट मामले का निर्देश—संशोधन से पूर्व, राजस्व मण्डल द्वारा धारा 219 एवं 218 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था। कमिश्नर, कलेक्टर अभिलेख अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी स्वयं के समाधान हेतु अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले अथवा अवधारित कार्यवाही के अभिलेख को मँगाने एवं परीक्षा करने की शक्ति रखते थे।[3]

220. अपने आदेशों और डिक्रियों का पुनर्विलोकन तथा परिवर्तन करने की परिषद् की शक्ति—(1) परिषद् स्वयं द्वारा या अपने सदस्यों द्वारा, [4][बन्दोबस्त से सम्बन्धित], दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और विखण्डित कर सकता है, बदल सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है।

(2) न्यायिक रूप में अपने द्वारा या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित डिक्री या आदेश का बोर्ड द्वारा इस प्रकार पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक कि मामले का कोई पक्षकार डिक्री या आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर ऐसा करने के लिए आवेदन-पत्र न दे, या यदि ऐसा आवेदन-पत्र ऐसी अवधि के बाद दिया गया है, तो यदि आवेदन-पत्र देने वाला परिषद को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन-पत्र न देने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

(3) सदस्य एक दूसरे के आदेशों का परिवर्तन करने के लिए सशक्त नहीं है—एकल सदस्य को, जिसे बोर्ड के सभी या कुछ अधिकार प्राप्त हैं, अपने सिवाय, परिषद या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित डिक्री या आदेश को परिवर्तित करने या उलटने का अधिकार नहीं होगा।

टिप्पणी

पुनर्विलोकन आवेदन की पोषणीयता—चूँकि दाखिल-खारिज कार्यवाहियाँ संक्षिप्त कार्यवाहियाँ होती है इसलिए उक्त कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश कोई भी आबद्धकारी प्रभाव नहीं रखती है। आदेश से पीड़ित पक्षकार अधिकारों एवं अन्य अनुतोषों की घोषणा के लिए वैकल्पिक अधिकरण में जाने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।[5]

---

1. *अवधराजी* बनाम *उ०प्र० राज्य* (1) आर०डी० 489।
2. *काली शंकर द्विवेदी* बनाम *राजस्व मण्डल*, 2001 आर०डी० 287।
3. *राम कैलाश यादव* बनाम *उ०प्र० राज्य*, 2002 आर०डी० 236।
4. 1922 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. *मकसूद अली* बनाम *मुख्य राजस्व कमिश्नर*, 2004 (2) आर०डी० 476 (उत्तरांचल)।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

(क) शक्तियाँ

221. अधिकार प्रदान करने की शक्ति—इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रदान करने में, [1][राज्य सरकार] व्यक्तियों को उनके नाम से या सामान्य रूप से पद-धारियों के वर्ग को, उनके सरकारी पद-नामों से, अधिकार प्रदान कर सकती है, और ऐसे किसी आदेश में हेर-फेर कर सकती है या उसके रद्द कर सकती है।

222. दूसरे जिले में स्थानान्तरित अधिकारियों की शक्ति—जब कभी [2][सरकार] की सेवा में पदाधिकारी कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत [3][आगरा प्रान्त] या अवध के किसी जिले में, कोई अधिकार प्रदान किये गये हैं, उक्त राज्य के किसी अन्य जिले में [4][* * *] उसी प्रकृति के समान या उच्च पद पर स्थानान्तरित किया जाता है, तो जब तक राज्य-सरकार अन्यथा कोई निदेश न दे, यह समझा जायेगा कि जिस जिले में वह स्थानान्तरित किया गया है, उस जिले में भी उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत वही अधिकार प्राप्त हैं।

223. कलेक्टर की शक्ति का सहायक कलेक्टर में निहित होना—[5][राज्य सरकार] किसी भी प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को कलेक्टर के सभी या कुछ अधिकार प्रदान कर सकती हैं, और इस प्रकार प्रदत्त सभी अधिकार उसके जिले के कलेक्टर के नियन्त्रण के अध्यधीन बरते जायेंगे।

224. तहसीलदार और नायब-तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान करना—[6][राज्य सरकार] किसी तहसीलदार को [7][सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के] सभी या कुछ अधिकार और नायब-तहसीलदार [8][या सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के] सभी या कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है।

225. कलेक्टर को सहायक कलेक्टर की समस्त शक्तियाँ—इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर, सहायक-कलेक्टर के सभी या कुछ अधिकार बरत सकता है।

226. [9][* * *]

227. उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ—किसी जिले के एक उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर को इस हैसियत से निम्नलिखित अधिकार होंगे :

[10][(1) सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी या तहसीलदार के सभी या कुछ अधिकारों को बरतने का अधिकार;]

---

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1932 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा लोप किया गया।
5. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1958 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 1961 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 द्वारा बढ़ाया गया।
9. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
10. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) स्वामियों को सीमा चिन्हों को बनाने या मरम्मत कराने के लिए बुला सकता है, और व्यतिक्रम करने पर, बना या मरम्मत कर सकता है और उसका खर्च [1][जोतदारों या ग्राम सभाओं] से, धारा 29 के अन्तर्गत वसूल कर सकता है,

(3) सीमा या सर्वेक्षण-चिन्हों को क्षति पहुँचाने के लिए जुर्माना करने और कुछ मामलों में धारा 30 के अन्तर्गत सीमा या सर्वेक्षण-चिन्हों की मरम्मत के प्रभारों को प्रभाजित करना,

(4) धारा 33 के अन्तर्गत वार्षिक रजिस्टर में परिवर्तन का आदेश करने का,

(5) [2][* * *]

[3][(5-क) धारा 39 के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों की जाँच करना और निर्णय करना ।]

(6) [4][* * *]

(7) धारा 37 के अन्तर्गत नामान्तरण (दाखिल खारिज) का शुल्क, और धारा 38 के अन्तर्गत जुर्माना उद्ग्रहण करना,

(8) [5][धारा 40, 41 और 43] के अन्तर्गत विवादों का निर्णय करना और आदेश पारित करना,

(9) से (17) [6][* * *]

(18) कोई अन्य अधिकारिता या प्राधिकार जो इस अधिनियम द्वारा सहायक कलेक्टर पर अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त हैं, बरत सकता है।

228. प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर जो उपखण्ड का प्रभारी न हो की शक्तियाँ—सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, जो किसी जिले के उपखण्ड का प्रभारी नहीं है, उपखण्ड के सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता है, जो कलेक्टर उसे समय-समय पर, निपटारे के लिए भेजे।

229. द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ—सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी को सभी मामलों की जाँच करने तथा रिपोर्ट करने का अधिकार है, जो किसी जिले का कलेक्टर या उपखण्ड का प्रभारी सहायक कलेक्टर, समय-समय पर, उसे जाँच करने तथा रिपोर्ट करने के लिए भेजे।

230. सहायक अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ—सहायक अभिलेख-अधिकारी अभिलेख अधिकारी के नियन्त्रण के अधीन इस अधिनियम द्वारा अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त सभी या किसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

[7][**231. अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रयोग**—जहाँ कहीं भी इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई अधिकार बरते जाने हैं या

---

1. 1953 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा लोप किया गया।
3. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा लोप किया गया।
5. 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
7. 1977 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 द्वारा अन्तःस्थापित।

कर्तव्य पालन किये जाने हैं, ऐसे अधिकारों या कर्तव्यों का, उससे या उसके वरिष्ठ अधिकारी या अधिकारी द्वारा भी बरते जा सकते हैं, या पालन किये जा सकते हैं।]

232. [1][* * *]

(ख) दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता

233. दिवानी न्यायालयों के संज्ञान से अपवादित मामले—कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित बातों में दीवानी न्यायालय में वाद या अन्य कार्यवाही दायर नहीं कर सकेगा :

(क) लेखपाल के [2][हल्कों] की व्यवस्था;

(ख) [3][धारा 23 तथा 25] में उल्लिखित पदों, या ऐसे पद के वेतन, फीस के प्रति, या उससे वंचित किये जाने या ऐसे पदों पर नामजद न किये जाने के प्रति किसी व्यक्ति का दावा,

(ग) [4][* * *]

(घ) अधिकार-अभिलेख की रचना या तैयारी, हस्ताक्षरण, या उसमें उल्लिखित किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन या वार्षिक रजिस्टरों की तैयारी।

(ङ) से (ङ) [5][* * *]

(ग) नियम बनाने की शक्ति

[6][234. परिषद की नियम बनाने की शक्ति—(1) परिषद, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नियम बना सकता है जो निम्नलिखित में से सभी या किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत हों—

(क) तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों के कर्तव्यों को विहित करने तथा उनकी पदस्थापना तथा उनके स्थानान्तरणों को विनियमित करने तथा अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्तियों की व्यवस्था करने के लिए;

(ख) अधिकार-अभिलेख और दूसरे अभिलेखों, मानचित्रों, फील्ड-बुक, रजिस्टरों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई या रखी गई सूचियों को बनाने के सम्बध में प्रपत्र, विवरण, तैयार करने की पद्धति, अनुप्रमाणन तथा रख-रखाव के लिए नियम विहित करना तथा ऐसी भूमि, यदि कोई हो, को विहित करना जिसके सम्बन्ध में धारा 32 के अधीन रहते हुये ऐसे अभिलेख नहीं तैयार किये जाने हैं,

(ग) धारा 38 के अधीन जुर्माने को लगाने को नियमबद्ध करना जो कि उत्तराधिकारों और अन्तरणों को संसूचित करने में विफलता घटित करने की स्थिति में लगाये जायेंगे,

---

1. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
2. 1953 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1953 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
5. 1951 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा लोप किया गया।
6. 1975 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में वसूल किये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना,

(ङ) किसी अधिकारी (या अन्य व्यक्ति) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करना, जो कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के कार्य संचालित करने अथवा कार्यवाही करने के लिए वांछित अथवा अधिकृत है,

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही में सभी व्यक्तियों के सामान्य पथ-प्रदर्शन के लिए तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये ऐसे वाद अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करना,

(छ) राजस्व-न्यायालयों में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों को लाइसेन्स जारी करना तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा कार्य-संचालन की रीति तथा उनके द्वारा ली जाने वाली फीस को नियत करना तथा शर्तों को भंग करने की स्थिति में ऐसे लाइसेन्सों को रद्द करना।

(2) उप-धारा (1) में किसी अन्य व्यवस्था के होने बावजूद, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद् द्वारा बनाये गये सभी नियम, जो कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के लागू होने के दिनांक के तुरन्त पूर्व, जैसी स्थिति में वे विद्यमान थे और उस दिनांक को लागू थे जब तक निरस्त, संशोधित या सक्षम अधिकारी द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिये जाते, तदैव लागू बने रहेंगे।]

प्रथम अनुसूची

(धारा 1 देखें)

क्रम संख्या	क्षेत्र
1.	कुमायूँ खण्ड जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल (नैनीताल जिले के तराई उपखण्ड के बसे हुये क्षेत्रों को छोड़कर) जिले सम्मिलित हैं।
2.	मिर्जापुर जिलें में— (1) परगना अगोरी में, खास और दक्षिण कोन का टप्पा (2) परगना सिंगरौली में, ब्रिटिश सिंगरौली का टप्पा, (3) परगना बेचीपुर में, फुलवा, दुद्धी तथा बरहा टप्पा (4) दुद्धी खाम आस्थान
3.	[* * *][1]
4.	देहरादून जिलें में, जौनसार-बावर नामक देश का भू-भाग

---

1. 1915 के उ०प्र० अधिनियम संख्या 6 द्वारा लोप किया गया।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित अधिनियम		निरसन की सीमा
[illegible]की अधिनियम संख्या 19	आगरा प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम	पूरा निरसित, जितना कि पहले निरसित नहीं किया जा चुका है।
[illegible]की अधिनियम संख्या 17	अवध भू-राजस्व अधिनियम	पूरा निरसित, जितना कि पहले निरसित नहीं किया जा चुका है।
[illegible]की अधिनियम संख्या 8	आगरा प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1879	धारा 2 से 17 और 25 से 27 तक
[illegible]की अधिनियम संख्या 9	संयुक्त प्रान्त क़ानूनगो और पटवारी अधिनियम, 1889	धारा 10, 11, 12, 17 और 19
[illegible]की अधिनियम संख्या 20	उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और अवध अधिनियम, 1890	धारा 3, 4, 12 से 16, 18 से 20, 21 (जितना कि पहले निरसित नहीं किया जा चुका है), 22 से 27, 32 से 34 और 64

राजस्व परिषद, उ०प्र०
28053
लखनऊ